

namaskar

Affordable Schooling, Commendable Learning

VOLUME 3 / ISSUE 2



Why private schools must
be allowed to charge fees
based on quality p14

An unauthorised west
Delhi colony and its 100
private schools p20

RIGHT TO EDUCATION

**CAG's damning
findings confirm
it encouraged
corruption and is
ineffective p08**



National Independent Schools Alliance

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of Budget Private Schools (BPS) in India, that aims at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

18 States, 30 Associations

55,000+ Schools,

22,00,00,000+ Students

Become a member today! Join NISA

 /nisaindia.org  /nisaedu  /ccsindiatv

EDITOR

Avinash Chandra

EDITORIAL BOARD

Kulbhushan Sharma

Rajesh Malhotra

Amit Chandra

D. Shashi Kumar

S. Madhusudan

Mohammed Anwar

CONTENT CO-ORDINATOR

Thomas Antony

SOCIAL MEDIA TEAM

Amit Chandra

Thomas Antony

One Year Subscription:

Cheque/draft of INR 500,
in favour of NISA Education

EDITORIAL OFFICE

A-69, Hauz Khas, New Delhi-110016, India

Tel: 011 2653 7456

website: www.nisaindia.org

For sales, subscription, advertisement or
any other query,
Contact: nisa@ccs.in

CONTENTS



Editor's Desk

02 **An outcome-oriented education policy can do more for education than a focus on inputs**

AVINASH CHANDRA

03 **From NISA Secretariat**

S R THOMAS ANTONY

President's Message

05 **Shiksha Yatra: Historic rally for education reforms in December 2017**

KULBHUSHAN SHARMA

Editor's Pick

08 **Right to Education: CAG's damning findings confirm it encouraged corruption and is ineffective**

SEETHA

11 **Karnataka is going to mark a new milestone**

MIHIKA BASU

14 **Why private schools must be allowed to charge fees based on quality**

ARGHYA BANERJEE

NISA Communique

16 **NISA Update: State meetings, conferences and launch of quality improvement programme**

19 Media

Education

20 **An unauthorised west Delhi colony and its 100 private schools**

RITIKA CHAWLA

24 **RTE's heart is in the right place—but not its head**

26 **Ensure equal and inclusive education for all**

SATISH KAPOOR

28 **The 'point' that matters**

SONA AHUJA



AVINASH CHANDRA
Editor, www.azadi.me

The Ministry of Human Resource Development (MHRD) has once again started the exercise of formulating the National Education Policy (NEP). The Ministry, in the last week of June, created a nine-member committee to draft the policy. The committee is chaired by a renowned scientist, and Padma Vibhushan recipient, K. Kasturirangan.

Other members of the committee include former IAS officer K.J. Alfonso, who played an important role in achieving 100% literacy for two districts of Kerala; Dr. Vasudha Kamath; former Vice Chancellor of SNDT University (Mumbai); Dr. Manjul Bhargava, Professor of Mathematics (Princeton University); Dr. Rama Shankar Kureel, former IAS and Vice Chancellor of Baba Saheb Ambedkar Social Science University, (Mhow, Indore); Dr. T.V. Kattamani, Vice Chancellor of Tribal University (Amarkantak), Krishnamohan Tripathi, former Chairman of Uttar Pradesh Secondary and Higher Secondary Education; Dr. Mazhar Asif, Professor of Persian (Guwahati University); and Dr. M.K. Shridhar, former member Secretary of the Karnataka State Innovation Council.

An outcome-oriented education policy can do more for education than a focus on inputs

All the members of the committee are extremely influential and seem more capable than the TSR Subramaniam Committee set up by former MHRD Minister, Smriti Irani. However, the committee still fails to address the long standing demand for adequate representation of private schools in the formation of the NEP despite the increasing foothold of such schools in our education landscape. 51% of the primary level students in urban areas go to private schools, 41.5% of upper primary students, and 36.5% of secondary students, according to NSSO.

Since the implementation of the Right to Education Act (RTE) in 2010, school education in the country has been continuously discussed but for all the wrong reasons. Due to legal complications and its retrospective impact, we saw two concurrent movements. Private schools closed down in large numbers all over the country and at the same time, there was a massive decline in the strength of students in government schools. The situation became such that government schools in large numbers had to be closed (or merged in government's words). All government and non-governmental studies have raised questions about the quality of education in government schools, even though the cost per student is constantly increasing.

After four years of enactment of RTE, the number of government schools increased by 13,498, but the number of students enrolled declined by 1.13 crores. During the same time, the number of students enrolled in private schools rose by 1.85 crores. According to Professor Geeta

Gandhi of University College London, in the year 2014-15, there were about one lakh government schools in which the average number of students admitted were 12.7, whereas the mean student to teacher ratio in the class was 6.7.

While the standard of education has declined in schools, there was an indiscriminate increase in teacher salaries. The average salary of a government school teacher in 2014 was 4.8 lakh annually, which is seven times the per capita income of India, according to the National University of Educational Planning and Administration. To put this in perspective: the salary of teachers in our neighboring countries China, Pakistan, Bangladesh and Indonesia is less than double of the per capita income of the country.

Formulation of the NEP provides a once-in-a-century kind of chance to fix these ailments. Often, policies that seek to improve quality are restricted to input investment, and the committees remain entangled in increasing the number of teachers, raising salaries, and providing tables and chairs. The sad fact is that, through the RTE act, policies for enhancing input have got a lot of legislative force in India. These policies ignore accountability. The formation of NEP is a golden opportunity, and if the newly formed committee focuses on policies based on outputs rather than inputs, as is adopted internationally, there is no reason why the country's school education should not improve. Since private schools give better or equal results at one-third the cost in government schools, the inclusion of their opinions in the process of policy formation will only work for the betterment of education.



An urge to strengthen NISA's quality improvement campaign

Dear members,

It's my privilege to inform you of our new initiative: **Udaan: The Young India Smart Fellows Program (YISFP)**. I urge you all to join this movement and strengthen NISA's quality improvement campaign.

We are all aware of the important role we play in the Indian education space. It is reinforced by the significant shift in school enrollment in private schools in the last decade. While India has come close to achieving universal enrollment with gross enrolment ratio at 96.9% in 2015-16, the enrollment in government schools has demonstrated a decline. Enrollments in private unaided schools however have demonstrated a 10% increase from 18.7% in 2006 to 30.5% in 2015. This trend presents an unambiguous shift in schooling preferences amongst parents from both rural and urban India. There has thus been a significant growth in the private sector in education over the last decade,

accounting for 25% of all schools in the country, and approximately 40% of the national enrollment. Projected figures indicate that net enrollment in private schools stands to further increase to 50–60% by 2022. Exact figures are difficult to come by, but estimates suggest that there are approximately 700,000 Budget Private Schools (BPS) in India, providing education to nearly 60 million children.

BPS have emerged as a critical response to the cumulative failure of government sponsored education in India. Their proliferation in the last decade reflects the increasing disappointment amongst parents from economically and socially disadvantaged communities about public schools that continue to be afflicted by poor teacher capacities, teacher absenteeism, dismal infrastructure and poor learning outcomes. Increasingly then, many of the nation's poor choose to send their children to low-cost private schools that bring better learning at minimal costs.



S R THOMAS ANTONY
NISA Secretariat



Improving educational quality in Budget Private Schools: Scope and challenges

BPS are small establishments, run without government aid, and have a fee structure that is lower than the per-child expenditure in public schools. Initiated by private entities in response to the social and economic needs of parents from underserved communities, these schools cater to the developmental needs of children from low-income families. Despite lack of investment and infrastructure, systematic research over the past decade has shown that learning outcomes in these schools are equal to or better than those of far more resourceful government schools.

BPS however continue to grapple with severely constrained resources—both in terms of financial investment and skilled human resource. Given the low-income nature of the communities they serve, they are unable to increase tuition fees to meet the costs of pedagogical or better management innovations. Low fees in BPS mean poorly qualified teachers, little investment in teacher training, management practices, infrastructure or innovative pedagogical techniques. Students have little opportunities for exposure or, access to alternative learning aids or, external support systems that supplement their school education.

Given the limited research and data available on the BPS sector, and the continuing absence of standardized student assessments of scale, extant interventions for improving school quality also tend to be largely delinked from student needs and capabilities. Student assessments further tend to be largely focused on classroom/curricular knowledge, with little analysis of aptitude, analytical skills and critical skills crucial to what are regarded as necessary 21st century skill-sets.

There remains thus, an urgent need for targeted interventions that impact education quality in BPS through student-centric support systems premised on student assessments and evidence-based design. NISA came up with 'Udaan' with various components to improve the quality education of BPS sector holistically.



Udaan - The Young India Smart Fellows Program

YISFP will aim at integrating assessments, on-going mentorship and scholarships for targeted students, and a comprehensive school improvement program for the participating budget private schools from across the country.

YISF will have an outreach of over 5,00,000 students across the country. The program proposes to select an initial cohort of 100 students from the first round of assessments program. The cohort of 100 Young India Smart Fellows selected from among the top performers in the assessment will be provided scholarships, on-going mentorship, opportunities to participate in student-exchange programs and supplementary training opportunities as they continue to learn and grow.

The program has a peer-to-peer mentorship model to foster greater student participation, ensure sustainability, encourage sharing of learnings and experiences, and build responsible camaraderie amongst the fellows as they graduate from the program and go on to become leaders of tomorrow.

The mentorship program also extends to participating schools, with annual school assessments, recommendations for school improvement and inter-linkages with service providers, and platforms curretted for sharing best practices. The school improvement program aims to improve the quality of management and education delivery across 1,000 budget private schools across the country.

NISA has initiated this aspirational movement across the country to develop the quality of budget private schools. This national level quality improvement movement also helps us in our advocacy initiatives to strongly showcase the evidence of contributing to the larger cause with minimum resources. Once again, it's an appeal from NISA to all the BPS across the country to actively participate by enrolling in this movement to serve more children by developing our quality to serve more children of our nation and to ensure choice and affordability in education.



Shiksha Yatra

A historic rally for education reforms in December 2017

National Coalition for Education Reforms (NCER), an alliance of stakeholders including parents, teachers, school managers and education service providers, is organizing a Shiksha Yatra in the second week of December 2017. The Yatra will include lakhs of volunteers rallying from various states to culminate at Ram Lila Ground in Delhi. It is worthwhile to write about why we have arrived at this historic decision.

Budget or affordable private schools during the last three years have moved from strength to strength despite the resistance of the government. The National Independent Schools Alliance (NISA) has emerged as the largest organization of private schools in the world. With its reach in 18 states and 30 state associations (as of September 2017), it makes positive interventions in policy formation at the central and state level. It offers guidance to the State Association in legal and organizational matters, including the launch of mass movements. In August 2017, NCER subsumed many other school organizations such as Catholic missionary schools and FICCI schools under NISA. Besides school associations, NCER also includes parent organisations, education service providers and teacher organisations. The coalition aims to achieve:

- Equality of opportunity for all students without any distinction on caste, class or creed;
- Equality of standards across all education Boards through a national curriculum for Science, Math and English;
- Choice of Board to schools recognized by state governments;

- Elimination of corrupt practices in education, ensuring equity and transparency in the school system;
- School autonomy to promote innovative techniques and practices in teaching; and
- Quality of education to aid rapid progress and prosperity of the nation.

This grand rally is not a protest or agitation against the government. Rather, it aims to encourage the government to adopt and promote these objectives. We urge everyone to put the child at the centre of every education policy. Over 60% of children study in government schools where the per student cost is significantly higher than most private schools but yet learning outcomes remain poor. Will these children continue to go to government schools even if they had the income to go to a private school? The government is gradually increasing the expenditure on education to improve the quality of education but the vested interests in the system grab away a major chunk through corrupt practices.

The need of the hour is to directly transfer the benefits through a smart card or via bank accounts to parents and let them decide a school. Empowerment of the parents will eliminate corruption in the school system. The 25% seats in private schools are accessed by the affluent of the poor, and the poorest of the poor including marginalized sections continue to go to government schools.

The rally will also urge the government to enable ease of opening schools so that the rising fee charged by private schools can be checked by healthy competition in the market.



KULBHUSHAN SHARMA
President, NISA

This grand rally is not a protest or agitation against the government. Rather, it aims to encourage the government to adopt and promote these objectives. We urge everyone to put the child at the centre of every education policy.





BE FUTURE READY

DEVELOP 21ST CENTURY SKILLS

5,00,000 STUDENTS
100 SCHOLARSHIPS
OVERSEAS STUDENT EXCHANGE



National Analytical Aptitude Test

- ENGLISH ABILITY ■ MATHS APTITUDE
- LOGICAL REASONING ■ SCIENTIFIC REASONING

FOR GRADES 3 TO 11
Venue: YOUR SCHOOL
DATE: NOV 18TH



FOUNDATION	BASIC	ADVANCED
CLASSES 3,4,5	CLASSES 6,7,8	CLASSES 9,10,11

Expert and Peer mentoring for winners over an extended period to help achieve their career goals

DON'T MISS THIS GREAT OPPORTUNITY !

FILL THE REGISTRATION FORM AND SEND IT TO SCHOOL AT THE EARLIEST

Website: graymatters.in/naat.html

Email: naat@graymatters.in

Call: +91 73306 39054

The request for a uniform national curriculum in Math, Science and English through out the country removes preference for one Board over another putting students from different Boards at the same level.

State governments grant affiliation to schools after inspection of infrastructure and other norms after payment of prescribed fees. Central Boards, like CBSE and ISCE again inspect the infrastructure before granting affiliation. Multiple inspections by different agencies create space for corruption and exploitation. Education boards should confine their activities to framing of syllabus, conducting exams, results declaration, issuing certificates and promoting innovation and research in education, not straying into inspection of infrastructure, which has already been inspected by State governments. This will facilitate the affiliation of a larger number of schools to Central Boards, thus bringing uniformity in learning outcomes.

The high pressure on land, especially in urban areas owing to an increasing population and demand for land by industries, requisites vertical construction of schools. The minimum land requirement for opening schools

should not be more than half an acre. Flexible rules that take local context into consideration, will lead to rise in new schools and create a healthy competition necessary to neutralize exorbitant fees charged by many schools. The emphasis should shift from infrastructural requirements to learning outcomes.

The many discoveries in research and development in ancient India across a vast array of subjects including Math, Astronomy, Philosophy, Yoga, Space, Art and Literature were a result of non-interference by the state in educational institutions. Research and innovation in education was stifled by the opening of government schools by British officials destroying the autonomy of independent schools. Only autonomy combined with accountability can lead to innovation and quality improvement.

The objective of the Shiksha Yatra and the grand rally at Ram Lila Ground in Delhi (December 2017) is to demonstrate the strength and unity of private schools. Political parties and groups follow numbers in a democracy. NCER has joined hands with all relevant stake holders to demonstrate the support of the society and nudge the government to initiate education reforms at the earliest.

The objective of the Shiksha Yatra and the grand rally at Ram Lila Ground in Delhi in December 2017 is to demonstrate the strength and unity of the private schools. Political parties and groups follow numbers in a democracy. NCER has joined hands with all relevant take holders to demonstrate the support of the society and nudge to the government to initiate education reforms at the earliest.





SEETHA
Senior Journalist

Right to Education: CAG's damning findings confirm it encouraged corruption and is ineffective

The evidence that the noble-sounding Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, popularly known as the RTE Act, is a flawed and ineffective piece of legislation keeps on mounting.

As if the Annual Status of Education Report 2016 (ASER 2016), published by Pratham, showing that attendance as well as learning levels had deteriorated since the Act came into force weren't enough, the report of the Comptroller and Auditor General (CAG) on the implementation of the Act not only confirms this, but also outs an open secret—the irregularities and corruption that the Act gives rise to.

Of course, it doesn't use the 'C' word but the signals are pretty clear to any discerning person used to the ways of babudom. The report also confirms the ASER findings and shows that the Act may not be getting all children into school, which is why it was legislated in the first place. The fact that the RTE Act has given rise to new sources of corruption—recognition/de-recognition of schools, compliance with infrastructure norms and reimbursement of fees for students from poor backgrounds—is well-known. It just wasn't spoken about openly. But it can no longer be brushed under the carpet now.

Take the issue of reimbursement. Section 12 of the Act requires private unaided recognised schools to reserve 25% of seats for students from economically weaker sections. They are to get reimbursed for this. The CAG report points to several cases of

excessive or irregular reimbursements.

In Bihar, a total of Rs 1.18 crore was reimbursed to 90 unrecognised schools. In Madhya Pradesh, 303 unrecognised schools were reimbursed Rs 1.01 crore. In Karnataka, 124 schools were reimbursed Rs 80 lakh in excess; the reimbursement covered expenditure heads that were not allowed. In Uttarakhand, Rs 19 lakh was reimbursed to 14 madarasas, though schools imparting religious education are not covered by the Act. Could all this have not happened without palms being greased?

Sure, that's really loose change, compared to the levels of corruption one is used to hearing about. But, one, these just relate to the selected districts in states that the CAG audited and, two, the trivial amounts do not—and should not—detract from the fact that RTE Act is encouraging corruption.

There were also cases of schools, who should have been reimbursed, not getting their money because they had reportedly not completed the necessary paperwork. In both Karnataka and Madhya Pradesh, the CAG found the amount irregularly lying in the savings bank accounts of the relevant authorities. Talk to schools across the country and there will be a flood of stories about how reimbursements are delayed or denied if there are no kickbacks.

The CAG report found many instances of schools continuing to function without recognition. In two districts of Chhattisgarh, for example, 70 schools had been recommended for de-recognition; only 12 had been





de-recognised. In the audited districts of Gujarat, 2,502 schools and in Kerala, 1,666 schools were functioning without recognition. In one district of Uttarakhand, 109 schools were functioning without recognition. Is this possible without money exchanging hands?

One of the conditions for recognition is compliance with certain stipulated infrastructure and pupil-teacher ratio norms. Thousands of schools have been shut down for not complying with these provisions.

According to data from the National Independent Schools Alliance, over 4,000 schools were shut in 2015 and another 3,300-odd in the January-October 2016 period (the last period for which data is available).

Does that mean all recognised and government schools adhere to the norms? This is what the CAG report found: in Chandigarh a government school building had major cracks in the beams, making it unsafe; in

Tripura one school was functioning from an anganwadi centre since 2004, and another was functioning out of a bamboo shed; in Puducherry, 17 schools did not have a playground, in another classes were being held in a dilapidated kitchen; in Tamil Nadu, schools were being run in dilapidated buildings, in building with asbestos roofs and in one, classes were being held in the corridors. In Uttar Pradesh, 105 schools had no buildings and 403 were being run in dilapidated buildings.

The RTE stipulates a teacher-pupil ratio of 1:30 within three years of the Act coming into force. So, by March 2013, all schools should have had one teacher for every 30 students. The Act also bars single-teacher schools. This is supposed to ensure students get better attention and learning levels improve.

The reality: the CAG report shows that these norms were not being followed in several states. In Chhattisgarh in 2015-16, 14% primary schools and 15% upper primary schools

Section 12 of the Act requires private unaided recognised schools to reserve 25% of seats for students from economically weaker sections. They are to get reimbursed for this. The CAG report points to several cases of excessive or irregular reimbursements.





had an adverse pupil-teacher ratio. In Bihar, the ratio was in the 50-60 per student range. In Andhra Pradesh, 16% upper primary schools and 5% primary schools had an adverse pupil-teacher ratio.

Single-teacher schools functioned in Bihar, Madhya Pradesh, Gujarat, Haryana, Odisha, Punjab, Rajasthan and Tamil Nadu—with the number ranging from a low 1% in Bihar to 14-15% in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh.

If it has failed in all this, has the RTE Act succeeded in its main objective—ensuring that all children go to school because it is their fundamental right to do so? Well, mining data from the Unified District Information System for Education (U-DISE), the CAG report shows that the net enrolment ratio (NER) in primary education (Class 1-V) has declined steadily from 96% in 2012-

13 to 87.3% in 2015-16 (The NER is the enrollment in a state of education as a percentage of children in the relevant school age range). The NER in upper primary (Class VI-VIII) also fell steadily from 73.7% in 2012-13 to 72.48% in 2014-15, though it has gone up to 74.74% in 2015-16.

But how will governments get children into school when they don't know how many are out of school? The CAG report also shows that most state governments are clueless about the number of children in the zero to 14 years age group, those attending schools, those not in schools. Rule 10 of the RTE Rules requires state governments to conduct regular household surveys to get this information. However, 21 states had not done so.

Ensuring universal elementary education is an ideal that every country must strive towards. India's

record in this is way behind many smaller economies. It is ranked 135 in education index of the World Bank's Human Development Index, below Tajikistan, Vanuatu, Guatemala, Guyana and Kyrgyzstan, to name a few. The education index is calculated using the mean years of schooling and expected years of schooling. The mean years of schooling in the case of India is 6.3 against 10 in Tajikistan and Kyrgyzstan and 8.4 in Guyana. This cannot be the springboard for sustained higher growth rates with this record.

The Right to Education is not the, well, right way to ensure a sound foundation for an educated society. Critics had always pointed out that all it does is perpetuate inspector raj and concomitant corruption in education. The CAG report confirms this.

This article was first published on firstpost



Karnataka is going to mark a new milestone

MIHIKA BASU

Independent Journalist

In a first, the Karnataka government has floated a proposal that is aimed at making it easier for private body of individuals to start and maintain schools. According to the proposal, to set up an educational institution, the private body of persons may now structure themselves as a limited liability partnership as opposed to being restricted to be run as a society or a charitable trust. It stipulates that education must be the primary objective, and may still only operate on a non-profit sharing basis.

Government's move lowers barrier of entry

It is a step towards increasing private participation by eradicating the legal norms that make it difficult to start schools. For instance, overlapping complicated regulations, process of application, registration as a society/trust to obtain the land, need for licenses (in Delhi, for example, a private player needs to follow several steps and obtain nearly 15 licenses to open and run a school) and multiple approvals and certificates, make the process complex and time-consuming. The need to have trusts implies that every decision goes through the scrutiny of the board of trustees. These are often unnecessary and the associated overheads are expensive and unwarranted, especially at the primary and pre-primary levels. It is not uncommon to find that in areas where schooling and education are in short supply, one would also find that the expertise to navigate through the complex regulations, registration and maintenance of a society too is difficult to come by.

This means that educators need to spend more time acquainting themselves with the administrative overages of paperwork compliance, leaving less time for imparting education. Where skills for the latter are available readily, the former is not making the start of schools a non-starter. Less regulation also almost always means that there are less avenues of bureaucratic red-tape. This proposal could be construed as an acknowledgement of the need for greater private participation and indication of the intent to ease their barrier to entry. The proposal also hopes to enable community participation to influence the quality of education.

Competition fosters accountability and innovation

Now, the benefits of greater participation are numerous and well known. As empirically evidenced by industries



like media and telecom, this brings on competition, which fosters innovation. The result brings more choices and better quality of education for its consumers—students, teachers, and the spurt of ancillary industries around education. In some areas, this could mean easier or better access to education.

Private players are not an option; numbers speak for themselves

According to Census 2011 data, the number of “out-of-school” children went up from 1.3 million in 2005-06 to 8.1 million in 2009-10. So, it is clear that the supply and demand for education are severely skewed. Given its rate of growth, it is also clear that government schools have so far failed to meet the challenge. All too common are the telling signs of stress come admission season, when one sees parents standing in queue for hours outside various private schools.

To add to this, public perception is that private schools are qualitatively better than public schools, as seen from widespread preference in favour of private schooling. According to a research paper on the ‘private schooling phenomenon in India, based on the author’s analysis of raw District Information System for Education (DISE) data on 20 major states, between 2010-

According to the proposal, to set up an educational institution, the private body of persons may now structure themselves as a limited liability partnership as opposed to being restricted to be run as a society or a charitable trust. It stipulates that education must be the primary objective, and may still only operate on a non-profit sharing basis.





11 to 2014-15, the total enrolment in government schools over this period fell by 11.1 million (1 crore 11 lakh) students, whereas total enrolment in private schools rose by 16 million (1 crore 60 lakh), over the same four-year period. This is despite a modest rise in the number of government schools by 16,376 during that period. By contrast, says the study by Geeta Gandhi Kingdon, the number of private schools rose by 71,360 schools. While for the first time, NGO Pratham's Annual Status of Education Report (ASER) on rural India says that at the all India level, the proportion of children (age 6-14) enrolled in private schools is almost

unchanged at 30.5 per cent in 2016, as compared to 30.8 per cent in 2014, the growth in private schools across the country has continued unabated. Kingdon's research paper shows a 10% decline in average size of government run elementary schools alone. Overall, from 2010-15, the average size of government schools fell by 12%, while the average size of private schools rose by 3%, despite the large increase in the number of private schools.

These numbers clearly point to a trust deficit in government education. Several reports have cited that parents prefer private schools as they believe such schools have better academic standards, better learning environment and facilities. A National Sample Survey Organisation (NSSO) report shows that reasons attributed to preference for private schools over government ones are better environment of learning, unsatisfactory quality of education in government schools, while some cited English as the medium of instruction for studying in private schools. In a household survey commissioned by Praja Foundation and conducted in April-June 2016 across Delhi, three big reasons given by parents for not being happy with MCD schools are 'future scope is very limited (67%), quality of education (59%) and the teachers are not that good (58%)'. Similarly, 'future

scope is very limited (58%), quality of education (52%) and facilities provided to students are not very good (46%), constitute the three big reasons cited by parents for not being happy with state government schools.

However, it needs to be stated that ASER 2016 says two states have shown a good increase in government school enrolment relative to 2014 level, which includes Kerala and Gujarat. The same report also says that nationally, reading ability has improved, especially in early grades in government schools, while arithmetic shows improvement in government schools in primary grades.

Proposal is only a small beginning

The Karnataka government's proposal is no silver bullet. Easing the entry barrier is a minutiae in the vast number of operational challenges that accompany school administrations. Tackling the menace of license raj head on is a far greater impediment to any potential investor that seeks efficiency in the education system. Policymakers would do well to work on a single window of clearance in an effort to work towards this.

Further, a lack of investment is a chokehold on speedy expansion of private education. The pro-profit motive in the education camp have underscored the need to marry capital and educators, one that is unlikely without a reasonable return of investment.

Among its recommendations to encourage private sector participation in school education, a 2014 Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) report suggests reducing input based norms and move to an outcome-based system.

While Karnataka's proposal is a well-intentioned step towards accessibility of education in the state, it also brings hope for wider changes that will have more impact on education in the state.





Why private schools must be allowed to charge fees based on quality

ARGHYA BANERJEE

Founder, The Levelfield School, Suri, Birbhum, West Bengal

Why can't private schools be judged by results, rather than by the size of classrooms? Why do we need to micromanage the size of the library when we should assess reading skills? Why do we need to specify the qualifications of a Math teacher when we should evaluate the Math scores of her students?

The size of the library must be 14m x 8m, and it must stock a minimum of 1,500 books."

"The head of the school must hold the staff meeting at least once a month, review the work done during the month and assess the progress of the pupils."

"The head of the school should have a Master's degree and a degree in education, and at least eight years of teaching experience or five years

of administrative experience in a recognised high school."

These are some of the sample rules if an Indian school is to be affiliated with our central board of education. According to the first rule, we don't have to care about what sort of books we stock in a school library; we must be concerned about its size. According to the last rule, our revered ex-President APJ Abdul Kalam will not be eligible to

run a school, if he chooses to set one up. Forget about running—he won't even be qualified to teach—as he does not have a degree in education.

We can be sarcastic about rules. We can make fun of them. But for an entrepreneur who wants to set up a school, the outcome is not funny. The affiliation rule book for CBSE board is 89-page thick. You need more than 50 different government permissions

to set up a school. There are multiple approvals you have to take from the land office, fire-safety office, tax department, local municipality, state education board and, of course, the central education board. As far as education is concerned, the Licence Raj has not ended in our country.

These rules reflect our society's curious obsession about input rather than output. It displays a Soviet-style mindset that central diktat can control quality. Well, we all know about the shoddy consumer goods that the former Soviet Union produced. And we, of course, know about the army of educated, yet unemployable youths that Indian schools and colleges churn out.

It is not difficult to see the parallel. Excessive regulation and micromanagement do not result in quality. In global tests like PISA (Program for International Student Assessment) and TIMSS (Trends in International Mathematics & Science Study), which benchmark school students in various countries, India languishes at the very bottom. Surely, that should tell us something about the quality of our so-called best schools?

So, what's the solution? Nothing complicated—we don't need a PhD thesis or a committee of educationists discussing for years to solve this. It's simple—we must incentivise organisations to provide quality service, rather than issuing detailed instructions. Most firms try to provide excellent service because they would otherwise lose customers and money. A bank, or a telecom company, does not have a detailed recruitment guideline specifying the qualification to recruit their CEO. They have no instructions related to sizes of the offices and meeting rooms. They convene meetings when they are needed—which is more frequently than once a month. Those private organisations work far more efficiently than schools. They respond to changes much better. They have to be in sync with the times. Otherwise, they will perish.

Why can't we let our schools also function that way? Why can't our private schools be judged by results, rather than by the size of classrooms? Why do we need to micromanage the size of the library when we should assess reading skills? Why do we need to specify the qualifications of a maths teacher when we should evaluate the maths scores of her students? If a school does well, parents would naturally send their children there. If a school does not produce results, it will lose students and will close down. The CBSE does not need to do the job, the market will.

I understand there are some problems with the results-driven approach. First, this must go hand-in-hand with examination reforms. Our exams, as they currently stand, do not test the right skills.

Second, we must not assess only the final results, but year-on-year improvements. A school with a reputation built over the years tends to get good students—so they produce good results. We must have a measure to find out the value-addition over the years. This can simply be done by a standardised test conducted every two years (Class III, Class V and so on) and observing the incremental change. In the US, various states have their standardised tests (for example, California STAR tests) by which they assess the improvement in their children every year.

Finally, a market-driven approach must not exclude poorer sections of the society. At the same time, private schools must be allowed to charge everybody based on their quality and cost structure. The solution is for the government to provide direct cash transfer to the parents of poorer students and reimbursing them for the cost of education. The invisible hand of the market works better than the heavy-handedness of the government.

The article was published first in the Financial Express.

We can be sarcastic about rules. We can make fun of them. But for an entrepreneur who wants to set up a school, the outcome is not funny. The affiliation rule book for CBSE board is 89-page thick. You need more than 50 different government permissions to set up a school. There are multiple approvals you have to take from the land office, fire-safety office, tax department, local municipality, state education board and, of course, the central education board. As far as education is concerned, the Licence Raj has not ended in our country.



State meetings, conferences and launch of quality improvement programme



Panel discussion on fee regulation

Date: 10 April 2017

Venue: Lok Sabha Television office, Mahadev Road, New Delhi

Thomas Antony (NISA Advocacy Coordinator), Avinash Chandra (Editor Azadi) and Chandrakant Singh (School owner, Radiant Public School) were a part of a panel discussion organised by Lok Sabha Channel on fee regulation.

NISA annual strategy planning meeting 2017

Date: 12 May 2017

Venue: City Montessori School, Lucknow, Uttar Pradesh

As part of the organisational practice, the NISA General Body meets at least once a year to discuss, deliberate and develop annual plans and share progress with members.



Roundtable on quality improvement in Budget Private Schools

Date: 12 May 2017

Venue: City Montessori School, Lucknow, Uttar Pradesh

NISA in collaboration with Centre for Civil Society and Gray Matters Capital hosted a panel discussion on quality improvement in Budget Private Schools (BPS). The roundtable brought together key stakeholders in education including investors, service providers, school owners, educationists, and members of the NISA Governing Body, to discuss the need for and the nature of interventions that may impact the quality of educational delivery in BPS across the country.



Uttar Pradesh State conference

Date: 14 May 2017

Venue: Lucknow, Uttar Pradesh

Association of Private Schools (Uttar Pradesh) organised a State conference on the challenges faced by BPS in Lucknow. NISA team and all the State associations' leaders participated in the meeting.





Kashmir State conference

Date: 24 May 2017

Venue: Premium Convention Centre, Dal Lake, Srinagar



Joint Committee of Private Schools Association, Srinagar organized an education conclave to address the challenges faced by the private schools. The conference aimed to encourage uniform policies across the country and not discriminatory education policies for Jammu and Kashmir. Mr Sayed Mohamed Altaf Bhukari (State education Minister), Mr Kulbhushan Sharma (NISA President), Amit Chandra (Policy Advisor at the Centre for Civil Society), and NISA State representatives from ten different States attended the conclave.

Policy roundtable on Direct Benefit Transfer in education

Date: 22 June 2017

Venue: Red Bishop, Chandigarh



Centre for Civil Society and NISA jointly hosted a Policy Roundtable on School Education. Mr PK Das (Additional Chief Secretary, School Education, Haryana) chaired the conference. The roundtable brought together key stakeholders in education, including prominent educationists, practitioners, investors and policy experts to discuss the need for and nature of reforms in school education in Haryana.



Gujarat State conference

Date: 09 June 2017

Venue: Samast Patidar Samajni Wadi, Surat

Self-Finance School Management Association organised a State conference on the challenges faced by the private schools around the Gujarat Self-financed Schools (Regulation of fees) Act, 2017. Mr Kulbhushan Sharma (NISA President) and Amit Chandra (Policy Advisor at the Centre for Civil Society) participated in the conference.



Thought Leaders' Summit

Date: 28 June 2017

Venue: Fairfield Marriott, Bangalore

NISA organised Thought Leaders' Summit with the support of Microsoft to launch a digital learning program for BPS across the country. The conference through various sessions and presentations discussed the importance of digital learning. The meeting saw a participation of 150 representatives from 23 States.

Aligarh district meeting

Date: 25 June 2017

Venue: Mehta Hall, Aligarh

Public Schools Development Society, Aligarh organised a day-long meeting attended by its 60 members. The meeting discussed the challenges private schools face due to RTE Section 12(1)(c), the mandate to reserve 25% seats in private schools for economically backward and disadvantaged sections. Mr Kulbhushan Sharma (NISA President) and Thomas Antony (NISA Advocacy Associate) addressed the gathering.





Rally to protect private schools

Date: 31 July 2017

Venue: Kadapa, Andhra Pradesh

Andhra Pradesh Unaided Management Schools Association's district wing, Kadappa, organised a rally to inform about policy challenges faced by private schools in the State. Around 6000 school representatives participated. Mr Krishna Reddy (State Association President) addressed the gathering and submitted the memorandum to the Government.



Udaan Programme launch in various States



The Young India Smart Fellows Program is an initiative by NISA that aims to integrate assessments, ongoing mentorship and scholarships for targeted students, and a comprehensive school improvement program for the participating BPS from across the country.



Scrapbook – Children's Publishing Conclave

Date: 19 August 2017

Venue: FICCI, New Delhi

Mr Kulbushan Sharma (NISA President) and Mr Rajesh Malhotra (Vice President) represented the BPS perspective in a FICCI conference. They spoke about the importance of content liberalisation of text books.



An unauthorised West Delhi colony and its 100 private schools

RITIKA CHAWLA

Research Writer, Centre for Civil Society

It's not hard to spot private school these days, whether you are passing through metros, small towns or even rural areas. However, how do you explain the presence of more than 100 such schools in Hastal—an area of less than 7 square kilometres?

Hastal, a small census town in west Delhi, lies comfortably hidden between the massive Najafgarh drain on one side and the crowded Uttam Nagar bus terminal on the other. With its narrow and uneven roads and a curious mix of establishments, Hastal is quite unlike the other more visible parts of the city. Once inside the place, you will be overwhelmed by the number of shops, schools, clinics, coaching centres, marriage gardens and of course houses, all of which seem to exist together, with no

clear boundaries to separate one type from the other. The addresses of the buildings are in reference to the (*gali*) (lane) number they are located in, and you are likely to come across cases of three adjacent buildings sharing the same house number.

Once a small village surrounded by vast agricultural lands, today Hastal is an agglomeration of several regularized-unauthorized colonies along with the laaldora region of the older Hastal Village, linked together by intersecting lanes and by-lanes.

Among many other things, one thing that makes this place different from other parts of the city is the presence of a large number of diverse, but mostly low-cost private schools. Schools with names like 'Ideal Radiant', 'Star Shine', 'Kirti Public' and 'Pioneer Kamal' mark the landscape of the place, not just with their many coloured buildings; but also in forms of faraway walls painted with their names, the high flying banners that hang overhead, and flex boards tied to electric poles. Even if you miss seeing these schools, you will not



miss their presence which seems to be displayed on every corner, on every wall.

While nobody knows the exact number of such schools, when asked Mr Naresh Tyagi, a long time social worker and founder of the 27-year-old 'The New Age Public School', believes that there are more than 100 such private schools in Hastal today. Another school founder, Mr Satish Tyagi, quotes a presence of at least 200 private schools in Hastal ranging from pre-primary ones to schools running up till standard 12. These schools are spread out in an area of less than 7 square kilometres and cater to a population of 1,76,877 (as per the 2011 census). However, locals guess that at least 5 lakh people live in Hastal today. The corresponding figure for government schools in the area is 13, according to District Information System for Education (DISE) 2015-16.

The town today provides shelter, and often a means of livelihood to the migrant population from neighbouring states of Uttar Pradesh, Bihar and Haryana. And the majority of this population falls in the strata of lower or lower middle class. The question then arises: how did so many schools—firstly, emerge and then, flourish? And what does it really mean—is it simply a reflection of the aspirations of the working class, to equip its children to survive and thrive in the competition that characterizes the society today? Or is there something more to this story?

From a village to an unauthorized colony

The emergence of these schools is, in fact, deeply linked to the emergence of the colony itself. 61-year-old Umesh

Tyagi, who has lived in Hastal since his birth, and who now manages the Rajdhani Public School in the area, says that he was born in a village surrounded by vast agricultural lands, and has seen the neighbouring posher areas of Vikaspuri, Janakpuri and Uttam Nagar grow from wilderness to what they are today. 'We lived in kuchcha houses then, fenced by small rocks and thorns,' Mr Rati Ram Yadav, a retired Delhi police officer, and a native of the area adds.

However, the landowners sold off their agricultural land illegally to individuals. It was illegal because, under the Delhi Land Reforms Act of 1954, agricultural land cannot be sold off for non-agricultural uses. Gautumn Bhan tells the rest of the story about the transformation of agricultural land into unauthorised colonies in his research paper 'Planned Illegalities: Housing and the Failure of Planning in Delhi 1947–2010': 'Rural land belonged either to individual farmers or was common land in the village and belonged to the gram sabha or village council. Most unauthorised colonies get created when a person buys land—let us call him an "aggregator"—from either individual farmers or the gram sabha and aggregated into the size of a colony that could be large enough to hold as many 200 units or as few as 10. This aggregated land is then divided into plots and sold with written contractual agreements that detail monthly instalments and payment schedules undertaken and completed by individual house owners.'

Umeshji claims that this was done mostly to make a profit before the Delhi Land Reforms Act 1954 forced landowners to give up their possession for almost nothing. Another version

Another school founder, Mr Satish Tyagi, quotes a presence of at least 200 private schools in Hastal ranging from pre-primary ones to schools running up till standard 12. These schools are spread out in an area of less than 7 square kilometres and cater to a population of 1,76,877 (as per the 2011 census). However, locals guess that at least 5 lakh people live in Hastal today. The corresponding figure for government schools in the area is 13, according to District Information System for Education (DISE) 2015-16.



comes from Mr Satish Tyagi, the owner of one of the earliest schools to come up in the area—the ‘Vrindawan Public School’, who says that this land was sold off during the time Delhi Development Authority (DDA) was acquiring land for the planned development of Delhi. The government was paying prices much lower than prevailing market prices, and the fear of acquisition at such low prices made the landowners sell off their land to these aggregators or ‘colonisers’ (as he ironically calls them). As a result, the settlement that followed was scattered and haphazard, explaining the maze of lanes and crossroads that define Hastal today.

‘This was the time when property dealers emerged in almost every house’, Mr Satish Tyagi recalls. You will see the remnants of this even today in the busy streets of Hastal. A large number of people shifted to Delhi seeking employment, and as the housing facilities in the city remained inadequate, the population in Hastal, which provided relatively cheaper housing facilities, rose exponentially from 1980.

Lack of public provision of facilities and emergence of private schools

However, facilities available to serve the needs of this population were largely lacking. Till 1985 there was only one government school up-to the eighth standard, and another managed by an NGO. A few early private schools began emerging around 1987 as a natural response to the rise in demand for schools by an ever increasing population. ‘Plus, there was no land to work on anymore, they had to either find employment or generate employment for themselves, and opening schools seemed like a viable option’, Mr Naresh Tyagi, the manager of ‘The New Age Public School’ says. He takes out an old file with a pile of yellowed sheets of



letters and newspaper clippings- these are the applications he submitted to government over the years, due to which the government school was upgraded from upper primary to secondary level in 1994. Another application was submitted to DDA to allot land to open more schools. ‘However, the officials responded by saying that they had neither the land nor the budget to open these schools, given that it was an unauthorized colony. Instead they suggested that we should open our own schools—we had the land and the need for it.’ Mr. Umesh Tyagi recalls. He also vaguely mentions an education secretary who visited the area under the Education for All campaign and motivated them to open their own schools.

Most of these schools were then established between the 90s and 2010. Mr Satish Tyagi, when asked about his motivation to start a school, says: ‘I started teaching tuitions when I completely ran out of money. That helped me gain confidence that I could teach. Moreover, each time I would pass one of the schools and see people less educated than myself teaching these kids, I would think why not me. I had the land, I was educated, and I could teach.’

In case of Naresh Tyagi, his uncle who was already running his school in

the neighbouring area instigated him to open one on his vacant land. ‘I was in social work, and there was a definite scarcity of schools,’ says Naresh Tyagi, in a matter-of-fact tone. This, however, does not mean he was running his school for charitable purposes. A monthly fee of Rs1000 has to be paid each month to study in his school ‘but other than EWS, we do provide relaxation to children who may need it’—he gives an example of a girl whose father died and whose fee was waived off for the entire session.

At ‘St. Sai Public School’—a primary school in the area, they talk about starting with a small tuition and day-care centre—where children were charged only Rs 35 per month.

These schools which then came up served two important social functions—firstly, providing education to the children of Hastal who otherwise didn’t have enough schools to study in; and providing a means of employment to the adults of the area who at least had some degree of education.

Parent’s speak

Parents, when asked, show an apparent inclination towards sending their children to private schools over government schools. Lallan, who drives a cab, and has lived in Hastal since 1995,

sends his elder sons to government schools, while his daughter who is in 3rd standard, goes to 'Greenland Public School' in the neighbourhood. However, his two sons too completed early years of their schooling from private institutes, before they shifted to government schools. He may do the same for his daughter later, he says. 'It is not easy to afford private education, especially in later years. But if they study a few years in a private school, they learn better, at least they are much better off than children who have always gone to government schools,' he says.

In a single storey building in adjacent Mohan Garden, four families live in separate rooms, sharing a large courtyard and bathing space. All of them have migrated from Bihar at different times. Sunita, whose husband is a Rajmistri (expert mason), has four children, all of who study in government schools. 'I did send my eldest daughter to a private school for two years but the fee was so high that we couldn't afford it anymore,' she says. If they could afford the fee? 'Fir to private mein hi bhejtana (then, of course, we would have sent them to private schools),' she says. 'My

daughter who is in 4th standard still struggles to read her textbooks,' she explains, when asked the reason.

Inside the expansive South Delhi Municipal Corporation (SDMC) School in Shiv Vihar, a group of helping staff sits in an otherwise empty building. Except for the woman whose sons are in their senior secondary year and go to a government school, and two men who are unmarried, all of the other four parents send their children to different private schools. 'We work here, and we know how things are run here. Moreover, whoever has some money, tries to send their children to a private school. It's like a trend now.' The man who works as the peon in the school and whose daughter studies in a bigger private school under EWS quota of Right to Education Act says, "It is true—while sending children to private schools is about the quality of education delivery; it is also as much about status now. There is a sense of pride that people feel in paying for the services they avail."

A boost to female education

'There is another thing that happened

with the emergence of these schools,' Mr Umesh Tyagi tells, as he puts his pen down on the table, 'more and more girls began going to school.' Parents, who were earlier apprehensive of sending their daughters to long 'unsafe' distances to study, began sending them to the nearby private schools. Om Prakash Rathore, who migrated from Uttar Pradesh in 1979 and now owns a flour mill in Hastal, sent his daughter to the 'Rashtra Shakti Vidyalaya'—the earliest non-government school to emerge in the area, while his son went to the government school. When asked the reason for this surprising difference, he says, 'I could afford private education for only one of them, and while my son could go to a faraway government school, we preferred our daughter to go somewhere nearer,' he says, nodding.

Filling a lacuna

The schools in the area are many and diverse- some bigger, others smaller, some with their own football grounds and yellow buses, and others which run out of residential buildings; a school operating from two buildings separated by a road; schools where children run home every time their bottles run out of water, and schools with classrooms which are technology enabled; schools where children interact openly and freely in their classrooms, and schools where children sit in complete silence in the presence of teacher- schools which are recognized and schools which are unrecognized and; schools, all of which are 'English Medium'.

However, these schools cater to different economic classes and are filling a glaring lacuna. As Naresh Tyagi puts it: 'it's these private schools that are currently carrying the responsibility of educating the children of Hastal, because government schools are simply not sufficient.'

This article was first published on Outlook India.



RTE's heart is in the right place—but not its head

Scrapping the No-Detention Policy, one of the most controversial features of the Right to Education Act, is a first step towards mitigating some of its worst consequences

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act or the Right to Education Act (RTE) was supposed to drive India's big leap in social development. It was supposed to bring millions to school, building the foundations upon which a modern, progressive and prosperous nation was to rise. Seven years later, those hopes and aspirations have been belied. Learning outcomes have deteriorated, schools are being closed and entire cohorts are graduating ill-educated and unprepared. The RTE has proved to be a disastrous piece of legislation. Against this backdrop, the Narendra Modi government's decision to scrap one of its most controversial features, the No-Detention Policy (NDP), is an important first step towards mitigating some of its worst consequences.

The NDP was interpreted as a call for all students to be automatically promoted to the next class, without having to take any examinations until

class VIII. In the seven years that it has been in effect, it has, however, done nothing to improve learning outcomes. The latest edition of the well-regarded Annual Status of Education Report (ASER), which measures overall learning levels, has found, yet again, that learning outcomes remain below par. Less than 48% of children in class V can read a class II-level textbook; only 43.2% of class VIII students in rural India can do simple divisions; only one out of every four students in class V could read an English sentence.

The NDP has also been found to be faulty by the Comptroller and Auditor General as well as the Central Advisory Board of Education. More than 20 states and union territories have asked for the policy to be either scrapped or modified. In short, there is now overwhelming evidence that the NDP has failed, and the sooner the system is fixed, the better.

Supporters of the NDP may argue

that the policy—successfully deployed in countries known for their high-quality education systems, such as Finland and Japan—wasn't properly implemented in India. They are right. The NDP was supposed to be part of the larger Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) effort which replaced the annual examination system. The CCE, however, was stillborn—at least in part because teachers were never really trained in how to implement the new methods of evaluation and interpreted the policy as one that required no assessment at all. The problem is that even today, there is no clarity on how this issue can be resolved given the far-from-optimal ground realities.

NDP cheerleaders also claim that the objective of the policy was to keep students in school and prevent dropouts—and in that, it has succeeded. Herein, it is important to ask: What is the point of students staying in school if they are barely learning anything at all?

In fact, this question can be extended to the enrolment factor as well. Champions of the RTE point out that since the law, making access to free and compulsory education a fundamental right for all children between the ages of six and 14 years, came into force, the country has attained almost universal enrolment. Apart from the fact that this isn't entirely correct (enrolment rates were high and improving even before RTE,





thanks to much older schemes such as the mid-day meal scheme and the Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), here too one must underline the risks of conflating schooling with learning.

Indeed, this dichotomy is reflective of the larger, more fundamental problem with the RTE: its heavy focus on inputs while effectively ignoring outputs. The Act, for instance, makes it compulsory for schools to reserve 25% of seats for poor students, mandates a high teacher-student ratio, enumerates expensive standards for school buildings and infrastructure, defines working days and teacher hours, etc., but doesn't offer any benchmarks for learning outcomes or link teacher assessment to student performance.

This, in turn, has had a debilitating impact on budget private schools which catered to a large number of poor students. Many such schools, which barely charged a few hundred rupees in student fees, have been shuttered since they could no longer afford the RTE requirements. A school in an urban slum is going to have a difficult time trying to build a playground, after all. According to the National Independent Schools Alliance, a grouping of budget private schools, Delhi alone closed 3,000 schools in 2015-16 while Maharashtra served closure notices on 7,000 schools. In contrast, government schools have no such worries because they are "recognized"—simply by virtue of being

a government agency. Therefore, they can take their own sweet time to comply, if at all, with the RTE requirements. This is also true of minority-run institutions (both aided and unaided) which stand outside the ambit of the RTE and are seen as being favoured over majority-run institutions.

What makes all this particularly galling is that data shows that even poor parents prefer to send their children to budget private schools instead of government schools which are free. Also, studies have shown private schools are more cost-effective than government schools and deliver slightly better learning outcomes. In fact, the landmark Andhra Pradesh School Choice Project by Karthik Muralidharan of the University of California, San Diego found that even though private school teachers are less educated and not as well paid as their government counterparts, they still perform better in terms of fewer absences, longer workdays, etc.

In other words, the RTE has resulted in shutting down those schools that students wanted to attend while giving preferential treatment to those that they didn't care for. It has, on the whole, promoted an education system that focuses on just about everything else but education.

This article was first published on Livemint

No-Detention Policy cheerleaders also claim that the objective of the policy was to keep students in school and prevent dropouts—and in that, it has succeeded. Herein, it is important to ask: What is the point of students staying in school if they are barely learning anything at all?





Ensure equal and inclusive education for all

SATISH KAPOOR

Founder and Director of Brotherhood,
an organization that works for disabled children

Inclusive education happens when students from different backgrounds and capabilities learn together in same classrooms. Every student should have an equal opportunity for education in schools that cater to demands of all. These schools should meet the educational requirements for students from different social, economic, ethnic, linguistic and religious backgrounds. Schools should develop capabilities to respond to the varied challenges that emerge from unique educational needs of all students.

The idea of equal and inclusive education envisages barrier-free access and participation in school activities. Besides access to physical resources, we envision equal opportunity to access curriculum for all learners. Curriculum and associated assessment should be designed such that it addresses educational needs of all students according to their potential. Undoubtedly, this requires teachers are adequately trained and empowered to meet diverse needs. A teacher should take responsibility for learning

and play of students with disabilities including cognitive, sensory and learning impairment. A teacher may be supported by specialised service providers as and when required. The provision of specialised and equitable education in schools for all requires additional resources. Wherever special schools or resource centres are available, they should be involved in supporting inclusive schooling. Mutual institutional support between regular schools and special schools that cater to disabled children will benefit both.

This article overlooks the trend of 'segregated' hospital care and special schooling and rather, focuses on the Sustainable Development Goal 4 (SDG-4) that focuses on inclusive education set by UNESCO in 2015. SDG-4 captures The Education 2030 Agenda which aims to 'ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all' by 2030. The world is moving from universal education to a more ambitious 'inclusive universal education' and this has thus been incorporated as the focus

for all of UNESCO members countries. The successful implementation of this goal requires understanding learner diversities to enhance and enrich learning.

In India, surveys and research conducted by different agencies and scholars indicate that education of students with disabilities is not progressing fast enough to achieve the goal of inclusive education for all by 2030. The government and various NGOs continue to voice their concern to accelerate achievement of SDG-4 jointly.

Government of India (GoI) policies seem responsive to the goal of inclusive education. The seeds can be traced from 1990s through policies such as the National Policy of Education (NPE) and Programme of Action 1986 and 1992 supported by Salamanca Declaration 1994. The Right to Education Act 2009, Rights of Persons with Disability Act 2016, and Niti Aayog vision document—Three Year Action Agenda (2017-20)—further reinforce the national policies. The policies expect positive synergies from enabling inclusive learning at

the school level: children who learn together learn to live together.

Quality indicators

In India, various government agencies issue guidelines to meet the educational needs of students with disabilities. The issued guidelines provide answers to how can we give quality education to students with disabilities in a regular classroom along with students without a disability. However, there are no indicators to measure the quality of education or the extent of inclusive education. Defining the quality indicators is necessary.

In July 2011, Prof. NK Jangira and other eminent professionals developed quality indicators for inclusive schooling for students. Brotherhood, Centre for Disability Studies and Action, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai and National Accreditation Board of Education and constituent Board of Quality Council of India supported the group.

The indicators have been developed through extensive interaction with stakeholders and observation of the school and classroom practices of regular schools, both government and private. The methods are based on the guidelines issued by various government departments such as Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development; NCERT; NUEPA, the office of the Chief Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD); CPWD and accreditation agencies such as CBSE, ICSE, and International Baccalaureate. Experts in inclusive/special education, teachers, special educators, counsellors, rehabilitation professionals, parents of students with disabilities also contributed significantly to this exercise.

Quality Indicators have been classified into sixteen areas. Each area depends on the strength of the other. The categories are all equally important

because no one factor in isolation can bring about an inclusive school culture.

The areas are:

1. School Management Committee
2. Leadership
3. Role of SMC defined in the school manual
4. School environment
5. Responsibility and authority
6. Admission policy
7. Collaborative Planning Meeting
8. Inclusive Curriculum
9. Instructional practices
10. Assessment and Evaluation
11. Individual Student Supports
12. Parents and Family support
13. Staff Development
14. Health and Safety
15. Medical Facilities
16. Canteen

It is hoped that these indicators of quality will provide guidelines to practitioners as well as managers of inclusive education. It will also be helpful for preparing future teachers, teacher educators and researchers involved in enriching the area of inclusive education.

The quality indicators can be used as:

1. A rating scale with which schools can assess implementation of inclusive education practices
2. To initiate discussions among school personnel to identify priorities for school improvement
3. A framework to guide programme planning

4. A planning process to delineate and assess progress toward achieving specific goals to expand inclusive schooling

Quality Indicators are most effectively used in conjunction with a self-assessment process that helps to measure the current levels of implementation and guide movement forward toward targeted practices. These indicators are designed to be a technical assistance tool, not a monitoring device.

The process of self-assessment generates management information about the overall quality, which is used to develop goals, objectives and a set of targeted actions to drive improvement in inclusive practices.

Constitute school inclusive education development team

Each school should constitute a School Inclusive Education Development (SIED) team for inclusive schooling. Team should comprise eight to ten members led by an administrator (e.g., Principal or Director), special educator, counsellor, teachers and parents of students with disabilities and rehabilitation professionals.

SIED team should be clear about what is to be accomplished. It creates a welcoming culture in the school. The overall purpose can be described as enhancing and improving learning and inclusive education practices in the school so that it supports achievement for all students.





The 'point' that matters

SONAL AHUJA

Learning Evangelist; Founder, House of Learning; Director, Shri Ram Foundation Pre-schools

Report cards are beautiful, especially with our kids' pictures on it. It is the only time when I believe we all remember to look through their bags. We rush through the first two pages to get the information we want.

On the back page, there is a comments section where the teacher writes a personal assessment of the child. This is the information we want. We read these paragraphs slowly, combing through it for information

about how our kids behave in class, how they treat their classmates, or whether they are respectful to their teachers. I really don't care about the letter grades our children earn. I care about the person they are becoming.

Raaj is in grade 9 now, and her Parents have spent many hours sitting on tiny chairs at parent-teacher meetings, discussing progress, academic and otherwise, and each time they skipped through the academic discussion and cut to the chase.

You see, I believe, that people like Raaj's parents are far less concerned about how many words per minute their child can read and whether the child can do long divisions, but what matters to them is, whether they can be kind and respectful. Do they make a good friend? Do they invite new kids to join their games at recess? Do they congratulate classmates on their successes? Do they help others?

To be concerned about a child's behaviour makes a lot of sense to me.

Of course, even I want to ensure my kids are on the right track academically. I want to know if they are struggling, and if they need any extra support. I want them to appreciate the value of hard work. I want them to learn about math, language, science, and the world, but knowledge isn't necessarily equivalent to the right grades or acing a test. Assessments, grades, and test scores are bench-markers, but they do not tell the whole story.

Even if they did score, I'm not sure that I would care that much because I'm far more concerned about whether my kids are kind, compassionate and helpful humans rather than whether they are getting an A.

I'm not raising students; I'm raising humans.

Call me lazy, but I don't spend hours drilling my kids on math facts or keeping track of their reading logs. When they get home from school, I don't ask them about their spelling quiz or how they did on their math test. Instead, I ask them, 'Who were you kind to today?' and 'Who was nice to you?' These are the things I want to know. Did you make someone smile? Did you make someone laugh? Did you make someone else feel special?



These are the hallmarks of a good person, not just a good student.

Don't get me wrong, I don't want my children to fall behind academically, and if they are struggling, I want to know about it so that we all—parent community, our children and their teachers—can do something to help them get on the right track. But aside from that, I am perfectly happy to rest comfortably in the 'average' category when it comes to things like grades, the honour roll, and standardised tests.

Before our children graduate from the Shri Ram Foundation, I always tell three secrets to parents. First, superheroes aren't just in storybooks but sometimes they are the ones standing in front of the chalkboard each morning. Teachers are superheroes. Second, when things get hard—and they most certainly will—almost everything can become just a little easier to handle with a few good, long, deep breaths. Third and most importantly: 'You are the magic. You just have to be the best you that you can be.'

I remind them that when they are the best version of themselves when they work hard, when they are brave and kind, they can grab a handful of that magic and sprinkle it around.

So yes, I want my kids to study and work hard. I don't want them to struggle in school and I hope they get decent grades, but what I really care about is whether they are spreading magic—kindness, friendship, generosity—into the classroom and the world.

If they are doing that, they are on this highest of honour rolls in my book.

This is the information we want. We read these paragraphs slowly, combing through it for information about how our kids behave in class, how they treat their classmates, or whether they are respectful to their teachers. I really don't care about the letter grades our children earn. I care about the person they are becoming.





NISA Association Members



MR KRISHNA REDDY
Andhra Pradesh Unaided Schools
Management Association, Andhra Pradesh



MR PANKAJ DAS
All Assam Private Schools Association,
Assam



MS NANDITA MISHRA
Byktigata Vidyalaya Samannayrakshee,
Assam



MR PRADEEP SHUKLA
Chandigarh Private Schools Association -
Village, Chandigarh



MR H S MAMIK
Independent Schools Association,
Chandigarh




MR RAJESH MALHOTRA
Delhi Independent Schools Association,
Delhi



MR CHANDRAKANT SINGH
Private Land Public Schools Association,
New Delhi



MS APARNA PARLEKAR
All Goa Government Recognized Unaided
Schools Association, Goa



MS EKTA SODHA
Jamnagar Private Schools Association,
Gujarat



MR DEEPAK RAJGURU
Self Finance School management,
Gujarat



MR KULBHUSHAN SHARMA
Federation of Private Schools Association,
Haryana




MR RAVI AZTA
Himachal Pradesh Private Schools
Management Association, Himachal Pradesh



MR AJAY GUPTA
Joint Committee of Private Schools,
Jammu



MR SHASHI KUMAR
KAMS-Associated Management of English
Medium Schools, Karnataka




MR G N VAR
Joint Committee of Private Schools,
Kashmir



MR RAMADAS KADIRUR
All Kerala Self Financing Schools Federation,
Kerala




MR SUNIL OLIYA
Gwalior Private Schools Association Samiti,
Madhya Pradesh




MR ANIL DHUPUR
Unaided CBSE Schools-Indore,
Madhya Pradesh



MR RAJENDRA SINGH
Independent English Schools Association,
Maharashtra




MR. BHARAT MALIK
Private Unaided Schools Management
Association, Maharashtra



MR KULWANT RAI SHARMA
Recognized and Affiliated Schools Association
Jalandhar, Punjab



MR KULVIR CHAND
Private Schools Association - Nakodar,
New Janta Model School, Punjab



MR KODARAM BADHUR
Private Schools Association, Bikaner,
Rajasthan



MR SATHIAMOORTHY
Association of Private Schools Management
CBSE, Tamil Nadu



MR MARTIN KENNEDY

Tamilnadu Nursery Primary & Matric Higher
Secondary School Managements Association



MR MADHUSUDHAN

Telengana Recognized Schools
Management Association, Telengana



MR ATUL SRIVASTAV

Association of Private Schools- Lucknow,
Uttar Pradesh



MR PRAVIN AGARWAL

Public School Development Society-
Aligarh, Uttar Pradesh



MR SUBA SINGH

Private Schools Management Association,
Uttarakhand

NISA MEMBERSHIP FORM

BENEFITS TO THE ASSOCIATIONS

- ▶▶ Joining an alliance that provides a national voice, advocating for the interest of budget private schools
- ▶▶ Opportunity to spread awareness about the need for associations
- ▶▶ Reputation-building for the association at a national and international level
- ▶▶ Exposure and opportunities to learn from the best practices of other member associations from different states
- ▶▶ Latest information about education developments, new legislations, policies, regulations, amendments and related issues
- ▶▶ Direct contact with colleagues across the country and throughout the nation - an open gateway to people and resources that help make schools even better
- ▶▶ Through a nationwide advocacy campaign, access to legal aid to protect interests of associations
- ▶▶ Representation on a national citizenry platform that advocates for fewer regulations and greater transparency from the government, media, academics and international organizations
- ▶▶ Updates on important cases from alliance officers and staff who attend meetings with governments

NISA MEMBERSHIP FORM FOR ASSOCIATION

Name of Association:

Name of President/Head of the Association:

Phone Number: E-mail ID:

Postal Address of Association/ Head of the Association (Whichever is applicable):

Website:

Yes, I wish to be a member of National Independent Schools Alliance (NISA)
Fill in the above form and send it to NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016
For more information, call: +91 9899485667; 011 2653 7456 E-mail: nisa@ccs.in Website: www.nisaindia.org



NISA NAMASKAR SUBSCRIPTION FORM

SUBSCRIPTION FORM FOR NISA NAMASKAR

Please complete the form below and send it to: NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

Name:

Phone Number: Email ID:

Address:

Pin Code: Country:

Occupation:

Mode of Payment: Cash: Cheque: Net Banking:

For net banking, transfer the amount at : A/C No.- 412102010057920
Union Bank of India, Nehru Place, New Delhi-110019
IFSC Code: UBIN0541214

Yearly Subscription Amount: INR 500
For payment via cheque, please enclose cheque/DD in favour of NISA Education, payable at Delhi for INR 500
For further queries, subscription or advertisement related, contact: nisa@ccs.in; 91 9899485667; 011 2653 7456

नामस्कार

Affordable Schooling, Commendable Learning

VOLUME 3 / ISSUE 2



क्यों न गुणवत्ता के आधार पर तय
हो निजी स्कूलों की फीस p14

पश्चिमी दिल्ली की एक अनधिकृत
कॉलोनी और वहाँ चल रहे १००
निजी स्कूल p20

सीएजी की रिपोर्ट से
खुलासा: शिक्षा का
अधिकार कानून है
निष्प्रभावी, दे रहा
भ्रष्टाचार को बढ़ावा p08

National Independent Schools Alliance (NISA) is the unified voice of budget private schools (BPS) in India, that aims at improving access to affordable and quality education for the economically weaker students.

18 States, 30 Associations

55,000+ Schools, 22,00,00,000+

Students

Become a member today! Join NISA

एडिटर

अविनाश चंद्र

एडिटोरियल बोर्ड

कुलभूषण शर्मा

राजेश मल्होत्रा

अमित चंद्र

डी. शशि कुमार

एस. मधुसूदन

मो. अनवर

कंटेंट कोऑर्डिनेटर

थॉमस एंटनी

सोशल मीडिया टीम

अमित चंद्र

थॉमस एंटनी

वार्षिक सब्सक्रिप्शन

500रु. चेक/ड्रॉपट, NISA Education
के नाम दें

संपादकीय कार्यालय

ए-69, हौज खास

नई दिल्ली - 110016

दूरभाष: 011 26537456

वेबसाइट: www.nisaindia.org

सब्सक्रिप्शन व अन्य जानकारियों के लिए संपर्क करें: nisa@ccs.in



p08

संपादकीय

02 शिक्षा क्षेत्र में निवेश की बजाए परिणाम आधारित नीति होगी कारगर
अविनाश चंद्रा

03 निसा सन्देश
एस आर थॉमस एंटनी

05 प्रेसिडेंट का सन्देश
कुलभूषण शर्मा

संपादक की पसंद

08 सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा: शिक्षा का अधिकार कानून है निष्प्रभावी, दे रहा भ्रष्टाचार को बढ़ावा
सीता

शिक्षा

11 शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक ने दिखाई नई राह
मिहिका बासू

14 क्यों न गुणवत्ता के आधार पर तय हो निजी स्कूलों की फीस
अर्घ्य बनर्जी

निसा संवाद

16 प्रांतीय बैठकें, कॉन्फ्रेंस और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का विमोचन

19 सुर्खियां

शिक्षा

20 पश्चिमी दिल्ली की एक अनधिकृत कॉलोनी और वहाँ चल रहे १०० निजी स्कूल
रितिका चावला

24 आर्टीई का दिल तो सही जगह पर है मगर दिमाग नहीं

26 सबके लिए समान एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो
सतीश कपूर

28 मुद्दे जो मायने रखते हैं...
सोनल आहुजा



अविनाश चंद्रा
संपादक

शिक्षा क्षेत्र में निवेश की बजाए परिणाम आधारित नीति होगी कारगर

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक बार फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। जून के अंतिम सप्ताह में इस संबंध में नौ सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया। जाने माने वैज्ञानिक व 1994 से 2003 तक इंडियन स्पेश रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के चेयरमैन रहे पद्मश्री व पद्म विभूषण के. कस्तूरीरंगन को समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। एसएनडीटी यूनिवर्सिटी, मुंबई की पूर्व कुलपति डा. वसुधा कामत, केरल के दो जिलों को सौ फीसदी साक्षर बनाने में महती भूमिका निभाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी के. जे. अलफॉस¹; प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, अमेरिका की गणित की प्रोफेसर डा. मंजुल भार्गव, पूर्व आईएएस व बाबा साहेब अंबेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, महू के कुलपति डा. रमाशंकर कुरील, अमरकंटक स्थित ट्राइबल यूनिवर्सिटी के कुलपति डा. टी. वी. कट्टीमानी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन कृष्णमोहन त्रिपाठी, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के फारसी भाषा के प्रोफेसर डा. मजहर आसिफ व कर्नाटक इन्वैशन कार्डसिल, दिव्यांग के पूर्व सदस्य सचिव डा. एम. के. श्रीधर समिति के अन्य सदस्य बनाए गए हैं।

निःसंदेह नामित समस्त सदस्यों का प्रोफाइल अत्यंत प्रभावशाली रहा है और प्रथम दृष्टया यह समिति पूर्व मानव संसाधन एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा गठित टीएसआर

सुब्रमण्यम समिति से अधिक सक्षम नजर आ रही है। हालांकि इस समिति के गठन के दौरान भी निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व शामिल करने के लंबे समय से उठ रही मांग की अनदेखी की गई है। निजी स्कूलों विशेषकर छोटे व कम शुल्क वाले बजट स्कूलों, जिनकी हिस्सेदारी कुल निजी स्कूलों की संख्या के 90 प्रतिशत से भी अधिक है, के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने की प्रक्रिया में उनके प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करने की मांग लगातार की जाती रही है।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद से देश में स्कूली शिक्षा लगातार चर्चा में रही लेकिन गलत कारणों से। कानूनी जटिलताओं और इसके पूर्वप्रभावी (रेट्रोस्पेक्टिव) होने के कारण एक तरफ जहां देश भर से बड़ी तादात में छोटे निजी स्कूलों के बंद होने की खबरें आयीं वहीं सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में जबरदस्त गिरावट आयी। स्थिति ऐसी हो गई कि बड़ी तादात में सरकारी स्कूलों को बंद (सरकारी भाषा में विलय) करना पड़ा। तमाम सरकारी व गैर सरकारी अध्ययनों ने सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता पर सवालिया निशान उठाए हैं जबकि प्रति छात्र वहां लागत लगातार बढ़ती जा रही है।

डिस्ट्रिक्ट इंफोर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डाइस) द्वारा 21 राज्यों से एकत्रित किए गए आंकड़ों के मुताबिक आरटीई लागू होने के चार साल (2010-2014) बाद सरकारी स्कूलों की संख्या में 13,498 का इजाफा हुआ लेकिन सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या में 1.13 करोड़ की गिरावट दर्ज हुई। इसके विपरीत इसी दरम्यान निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या 1.85 करोड़ बढ़ गयी। यूनिवर्सिटी

कॉलेज लंदन की प्रो. गीता गांधी किंगडन के एक शोधपत्र के मुताबिक वर्ष 2014-15 में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल ऐसे रहे जिनमें दाखिला लेने वाले छात्रों की औसत संख्या 12.7 रही, जबकि कक्षाओं में प्रति शिक्षक, छात्रों की संख्या औसतन 6.7 रही।

सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जहां कम हुआ वहीं शिक्षकों के वेतन में भी अंधाधुंध वृद्धि दर्ज की गई। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (न्यूपा) के मुताबिक वर्ष 2014 में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की औसत तन्ख्याह 4.8 लाख थी जो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय की सात गुना है। जबकि हमारे अन्य पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में शिक्षकों की तन्ख्याह देश की प्रति व्यक्ति आय के दोगुने से भी कम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नियमन इस बीमारी को सुधारने के लिए सदी में एक बार मिलनेवाले मौके की तरह ही अवसर प्रदान करता है। अधिकांश मौकों पर गुणवत्ता सुधारने के लिए नीतियां इनपुट (निवेश) तक ही सीमित होकर रह जाती हैं और समितियां अध्यापकों की संख्या बढ़ाने, वेतन बढ़ाने, मेजों और कुर्सियां उपलब्ध कराने जैसे उपायों तक ही उलझ कर रह जाती हैं। दुखद बात ये हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत भारत में इनपुट को बढ़ानेवाली नीतियों को बहुत अधिक विधायी बल मिला हुआ है। ये नीतियां उत्तरदायित्व को अनदेखा करने का काम करती हैं। यह एक स्वर्णिम मौका है और यदि नवगठित समिति नीतियों को अपने पूर्वर्तियों की तरह इनपुट की बजाए आऊटपुट पर केंद्रीत करती है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया जाता है तो कोई कारण नहीं कि देश की स्कूली शिक्षा में सुधार न हो। चूंकि छोटे निजी स्कूल सीमित संसाधनों में भी बेहतर परिणाम दे रहे हैं इसलिए उनसे रायशुमारी शिक्षा की बेहतरी का ही काम करेगी।



¹ के. जे. अलफॉस को हाल ही में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है

प्रिय सदस्यों,

मुझे आप सब को यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता और गर्व का एहसास हो रहा है कि हम "उड़ान-द यंग इंडिया स्मार्ट फेलोज प्रोग्राम (YISFP) की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं निसा के गुणवत्ता सुधार अभियान में सहभागी बनने के लिए आप सबका आह्वान करता हूँ।

एजुकेशन सिस्टम में हम क्या भूमिका निभा रहे हैं इस बात से सभी भलीभांति अवगत हैं। पिछले एक दशक के दौरान भारत में स्कूलों के दाखिला पैटर्न में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। आरटीई लागू होने के बाद 6-14 साल के उम्र के बच्चों के स्कूलों में दाखिले की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसकी वजह से भारत एक तरफ जहाँ 96.9% दाखिलों के साथ 'युनिवर्सल एनरोलमेंट' के अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गया है वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में होने वाले दाखिलों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। जबकी प्राइवेट स्कूलों में होने वाले दाखिलों की संख्या में वर्ष 2006 के 18.7% के मुकाबले 2015 में बढ़कर 30.5% हो गयी। प्राइवेट स्कूलों की तरफ पैरेंट्स का यह झुकाव सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पिछले एक दशक से शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। देश के कुल स्कूलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी 25% है और कुल दाखिलों में इनकी सहभागिता तकरीबन 40% है। मौजूदा आंकड़ों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2022 तक प्राइवेट स्कूलों में होने वाले दाखिलों का प्रतिशत बढ़कर 50%-60% तक हो जाएगा। हालांकि स्कूलों की संख्या के मामले में सही सही बता पाना कठिन है लेकिन एक अनुमान के मुताबिक देशभर में बजट स्कूलों की संख्या 3 लाख से 7 लाख के बीच है जहाँ लगभग 60 मिलियन बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षा की असफलता की भरपाई हेतु निजी स्कूल एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं। इन स्कूलों का तेजी से हुआ प्रसार इस बात का सबूत है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के पैरेंट्स का भरोसा सरकारी शिक्षा पर से कम हो गया है। क्योंकि इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है, टीचर अनुपस्थित रहते हैं, संसाधनों का अभाव है और लर्निंग आउटकम बेहद खराब रहता है। यही वजह है कि अब अधिकतर गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी के बजाय बजट प्राइवेट स्कूलों में ही भेजना चाहते हैं जहाँ न सिर्फ बेहतर सुविधाएँ हैं बल्कि कम खर्च में बच्चे अधिक सीख भी पाते हैं।

बजट प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि: सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ

बजट प्राइवेट स्कूल छोटे होते हैं और बिना सरकारी सहायता के चलते हैं। साथ ही यहाँ की फीस भी सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में होने वाले प्रति छात्र खर्च से कम होती है। ये स्कूल उन परिवारों के बच्चों की जरूरतों को देखते हुए खोले जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके पास सुविधाओं का अभाव है। इनका उद्देश्य कम-आमदनी वाले परिवारों के बच्चों के विकास संबंधी जरूरतें पूरी करना होता है। कम पूंजी निवेश और सीमित संसाधनों के बावजूद पिछले एक दशक के सिस्टमेटिक रिसर्च बताते हैं कि इन स्कूलों के लर्निंग आउटकम इनसे बेहतर संसाधन वाले निजी स्कूलों के बराबर और इनसे अधिक सुविधा सम्पन्न सरकारी स्कूलों से कहीं बेहतर हैं।

हालांकि बजट प्राइवेट स्कूल पूंजी निवेश और प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। चूंकि ये अपनी सेवाएँ कम आय-वर्ग के लिए देते हैं ऐसे में संसाधनों में वृद्धि और बेहतर प्रबंधन के लिए स्कूल की फीस भी नहीं बढ़ा सकते हैं। बजट प्राइवेट स्कूलों में फीस कम होने के परिणाम स्वरूप कम शिक्षित टीचर, उनके प्रशिक्षण पर कम खर्च, प्रबंधन संबंधी सुविधाओं का अभाव, संसाधनों व नवीन तकनीकों के इस्तेमाल व विकास में कमी जैसी समस्याएँ रहती हैं। इन स्कूलों में बच्चों को सीखने के वैकल्पिक साधन नहीं मिल पाते हैं जो उनकी सीखने की क्षमता को बेहतर बना सकते हैं।

बजट प्राइवेट स्कूलों से संबंधित मौजूदा सीमित रिसर्च व डाटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छात्रों के मानक मूल्यांकन संबंधी लगातार चली आ रही कमियाँ और स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के उपायों से दूरी बनी रहने के स्थिति में बच्चों की जरूरतों और क्षमताओं के बीच अंतर गहरा होता जाएगा। छात्रों के विकास संबंधी मूल्यांकन में क्लासरूम, पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान, जिसमें थोड़ा अभिरुचि, विश्लेषण और समीक्षात्मक ज्ञान संबंधी क्षमताओं के मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से सबसे आवश्यक हैं।

इसके साथ-साथ, बजट प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए छात्र-केंद्रित सहयोग सिस्टम तैयार करने की जरूरत है, जिसमें छात्रों की क्षमता के मूल्यांकन हेतु साक्ष्य



एस आर थॉमस एंटोनी
निसा; कोआर्डिनेटर

सरकार द्वारा प्रायोजित शिक्षा की असफलता की भरपाई हेतु निजी स्कूल एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं। इन स्कूलों का तेजी से हुआ प्रसार इस बात का सबूत है कि सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के पैरेंट्स का भरोसा सरकारी शिक्षा पर से कम हो गया है। क्योंकि इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है, टीचर अनुपस्थित रहते हैं, संसाधनों का अभाव है और लर्निंग आउटकम बेहद खराब रहता है। यही वजह है कि अब अधिकतर गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी के बजाय बजट प्राइवेट स्कूलों में ही भेजना चाहते हैं



आधारित तरीके उपलब्ध कराए जाएँ। बजट प्राइवेट स्कूलों की गुणवत्ता में बहुमुखी सुधार हेतु निसा 'उड़ान' लेकर आया है जिसके विभिन्न घटक हैं।

'उड़ान'—द यंग इंडिया स्मार्ट फेलोज प्रोग्राम (वाइआईएसएफपी)

'उड़ान'— यंग इंडिया स्मार्ट फेलोज प्रोग्राम (वाइआईएसएफपी) का उद्देश्य इसमें हिस्सा लेने वाले देश भर के बजट प्राइवेट स्कूलों को एकीकृत मूल्यांकन, नियमित दिशानिर्देशन और टारगेटेड छात्रों के लिए स्कॉलरशिप व स्कूल में सुधार हेतु व्यापक कार्यक्रम चलाना है।

वाइआईएसएफ की पहुंच देशभर के 5 लाख से अधिक स्कूलों तक होगी। इस कार्यक्रम के तहत शुरुआती मूल्यांकन के आधार पर 100 छात्रों की एक टीम का चयन किया जाएगा। और इन चयनित स्मार्ट फेलोज को स्कॉलरशिप, नियमित दिशानिर्देशन, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के अवसर और उनके विकास



और सीखने में मदद के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण आदि सुविधाएँ भी मुहैया कराई जाएंगी।

यह प्रोग्राम सहयोगी दिशानिर्देशन संबंधी मॉडल पर आधारित है जिसमें छात्रों की सहभागिता अधिक से अधिक होगी, इसकी निरंतरता सुनिश्चित होगी, सीखने के तौर तरीकों और अनुभवों का आदान-प्रदान होगा। इन फेलोज में से जिम्मेदार कॉमरेड भी बनाए जाएंगे जो प्रोग्राम पूरा करने के बाद भविष्य में इसके अगुवा की भूमिका निभाएंगे।

मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत सहभागी स्कूलों का वार्षिक मूल्यांकन, इनके सुधार हेतु सुझाव और सेवा प्रदाताओं से

सीधे जुड़ाव एवम बेहतरीन प्रदर्शन हेतु एक प्लैटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। स्कूल सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य है देश भर के 1000 बजट प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन में सुधार लाना।

निसा ने इस कार्यक्रम की पहल इस अभिलाषा के साथ की है ताकि देश भर में बेहतरीन शिक्षा गुणवत्ता वाले बजट प्राइवेट स्कूल विकसित हो सकें। हमारे इस देशव्यापी सलाहकार कार्यक्रम के प्रयास से साबित करना भी आसान होगा कि किस तरह से कम संसाधनों के साथ भी बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराई जा सकती है। निसा एक बार फिर देश भर के बजट प्राइवेट स्कूलों से यह अपील करता है कि वे बड़ी संख्या में आगे आएँ और कार्यक्रम के लिए नामांकन कराएँ ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा में सुधार लाएँ और अपने देश के अधिक से अधिक बच्चों के लिए सस्ती और बेहतरीन शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें।



सुधार का आधार बनेगी शिक्षा यात्रा और विशाल रैली



कुलभूषण शर्मा
प्रेसिडेंट, निसा

शिक्षा में सुधार के लिए बना राष्ट्रीय संगठन (नेशनल कोलिशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्मस) दिसम्बर 2017 के दूसरे सप्ताह में एक ऐतिहासिक शिक्षा यात्रा और विशाल रैली का आयोजन करने जा रहा है। शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न पक्षों जैसे कि, माता-पिता, शिक्षक, स्कूल प्रबंधक और शिक्षा सम्बंधी सेवा प्रदाता संगठनों की रैली सभी राज्यों के प्रमुख शहरों से शुरू होकर दिल्ली पहुंचेगी। रैली का समापन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में होगा जहाँ लाखों की संख्या में वॉलंटियर्स पहुंचेंगे। यहाँ यह जानना बेहद रोचक है हम इस ऐतिहासिक पड़ाव तक कैसे और क्यों पहुंचे हैं।

बीते तीन वर्षों में नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस (निसा) के बैनर तले आने के बाद से बजट अथवा अफोर्डेबल स्कूलों की हैसियत महज एक संख्या भर न होकर एक ताकत के रूप में परिवर्तित हो गई है। इनका साथ पाकर निसा भी निजी स्कूलों की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन गई है। इसकी पहुंच 22 राज्यों के 28 स्टेट असोसिएशनों तक है और यह संस्था केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर तमाम योजनाओं के निर्माण के दौरान सकारात्मक भूमिका निभाती है और कानूनी और संगठनात्मक मामलों में सहायता और दिशा निर्देश उपलब्ध कराती है। यह जन आंदोलनों का भी आयोजन करती है। कई अन्य संस्थाएँ जैसे कि कैथलिक मिशनरी स्कूल्स, फिक्की स्कूल्स आदि भी नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्मस के बैनर तले निसा की अगुवाई में साथ आए हैं। अभिभावक संघ, शिक्षा सेवा प्रदाता संस्थाएँ और शिक्षक संघ भी इस गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं ताकि शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं से सम्बंधित लोग एक साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सुधारों को सुनिश्चित कर सकें:

- बिना जाति, वर्ग और धार्मिक भेदभाव के हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिले।
- साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के पाठ्यक्रम के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के आधार पर सभी शिक्षा बोर्ड के लिए समान स्टैंडर्ड तय हो। स्कूलों के लिए अपने यहाँ शिक्षा के लिए बोर्ड का चयन उनका अपना अधिकार हो, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार खत्म करके पूरे

स्कूल सिस्टम में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।

- स्कूलों के पास शिक्षा के लिए नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल की स्वायत्तता हो।
- देश की तीव्र प्रगति और सम्पन्नता के लिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना।

इस विशाल रैली का आयोजन सरकार या उसकी नीतियों के विरोध के लिए नहीं किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार को शिक्षा संबंधी उन आवश्यक पहलुओं से अवगत कराना और उन्हें अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस रैली के जरिए शिक्षा के सभी सहभागियों जैसे कि माता-पिता, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधकों और शिक्षा सेवा प्रदाताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सभी प्रकार की शैक्षणिक नीतियों और शैक्षणिक सुधार की प्रक्रियाओं के दौरान छात्र हित को केंद्र में रखें। 60% बच्चे उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल करते हैं जहां सरकार प्रति छात्र 8 हजार रूपए हर महीने खर्च करती है बावजूद इसके कोई खास लर्निंग आउटकम नहीं आता है। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है क्या ये बच्चे उस स्थिति में भी सरकारी स्कूल में जाएंगे जब इनके अभिभावकों के पास निजी स्कूलों का खर्च वहन करने के लिए पैसे होंगे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सरकार शिक्षा सम्बंधी संसाधनों में विस्तार कर रही है लेकिन सिस्टम के भीतर लोग अपने निजी लाभ के लिए भ्रष्टाचार कर इन सारे प्रयासों को बेकार कर रहे हैं। मौजूदा समय की जो जरूरत है उसमें सरकार को हर बच्चे की शिक्षा के लिए 2500 रुपये मासिक वाउचर उपलब्ध करा देना चाहिए और सरकारी या प्राइवेट स्कूल अथवा उनके शिक्षकों के भविष्य की चिंता किए बगैर बच्चों के लिए स्कूल के चयन का पूरा अधिकार उसके माता-पिता को दे देना चाहिए। बच्चों को स्कूल वाउचर के जरिए सशक्त बनाना चाहिए। इससे न सिर्फ स्कूल सिस्टम में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा बल्कि 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को कोटा व रिजर्वेशन के आधार पर निजी स्कूलों में पढ़ने और बाकी के 75 प्रतिशत बच्चों को सरकारी स्कूलों में सड़ने के लिए छोड़ दिए जाने पर भी रोक लगेगी।

इस विशाल रैली का आयोजन सरकार या उसकी नीतियों के विरोध के लिए नहीं किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकार को शिक्षा संबंधी उन आवश्यक पहलुओं से अवगत कराना और उन्हें अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना है, जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। इस रैली के जरिए शिक्षा के सभी सहभागियों जैसे कि माता-पिता, शिक्षकों, स्कूल प्रबंधकों और शिक्षा सेवा प्रदाताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सभी प्रकार की शैक्षणिक नीतियों और शैक्षणिक सुधार की प्रक्रियाओं के दौरान छात्र हित को केंद्र में रखें।





BE FUTURE READY

DEVELOP 21ST CENTURY SKILLS

5,00,000 STUDENTS
100 SCHOLARSHIPS
OVERSEAS STUDENT EXCHANGE



National Analytical Aptitude Test

- ENGLISH ABILITY ■ MATHS APTITUDE
- LOGICAL REASONING ■ SCIENTIFIC REASONING

FOR GRADES 3 TO 11
Venue: YOUR SCHOOL
DATE: NOV 18TH



FOUNDATION	BASIC	ADVANCED
CLASSES 3,4,5	CLASSES 6,7,8	CLASSES 9,10,11

Expert and Peer mentoring for winners over an extended period to help achieve their career goals

DON'T MISS THIS GREAT OPPORTUNITY !

FILL THE REGISTRATION FORM AND SEND IT TO SCHOOL AT THE EARLIEST

Website: graymatters.in/naat.html

Email: naat@graymatters.in

Call: +91 73306 39054

इस रैली के जरिए सरकार से नए स्कूलों के खुलने की प्रक्रिया को आसान करने की भी मांग की जाएगी जिससे अधिक से अधिक नए स्कूल खुल सकें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप स्कूलों में बेवजह फीस बढ़ने पर स्वतः रोक लग सके।

अगर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यक्रम तय कर दिया जाएगा तो प्रत्येक शिक्षा बोर्ड एक समान स्तर पर आ जाएंगे और ऐसे में बच्चों को उनके शिक्षा बोर्ड विशेष के आधार पर अतिरिक्त वरीयता प्राप्त होना रुक जाएगा और समस्त बोर्ड के बच्चों का स्तर समान हो सकेगा।

किसी भी स्कूल को मान्यता देने से पहले राज्य सरकार स्कूल में उपलब्ध संसाधनों आदि की जांच करती है। फीस तय करने के लिए राज्य का शिक्षा बोर्ड स्कूल का इंसपेक्शन करता है। इस सबके बाद जब सीबीएसई या आईसीएसई जैसे केंद्रीय बोर्ड से मान्यता हासिल करने की बात आती है तब फिर से इंसपेक्शन होता है। यह पूरी प्रक्रिया न सिर्फ अनावश्यक होती है बल्कि भ्रष्टाचार की सम्भावनाओं को भी दोगुना कर देती है। शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल उनके द्वारा तय पाठ्यक्रम अपनाए, परीक्षा के मानक अपनाए, रिजल्ट की घोषणाएँ उनके आधार पर करें, सर्टिफिकेट उनके माध्यम से जारी हो और बोर्ड के मानकों के मुताबिक शिक्षा में नवाचार व शोध को प्रोत्साहन दें। बोर्ड को स्कूल के संसाधनों का इंसपेक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं जो राज्य सरकार पहले ही कर चुकी होती है। ऐसा कर देने से ज्यादा से ज्यादा स्कूल केंद्रीय बोर्ड से सम्बद्धता लेंगे और इससे शिक्षा के परिणामों में

बेहतर और अधिक समानता आएगी।

बढ़ती आबादी के साथ जमीन की जरूरतें भी काफी बढ़ रही हैं। ऐसे में स्कूलों में लम्बवत (फ्लोर वाइज) निर्माण की अनुमति मिलनी चाहिए और किसी भी मामले में स्कूल के लिए जमीन की जरूरत आधे एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अधिक संख्या में नए स्कूल खुल सकेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से स्कूलों की फीस आदि पर लगाम लगेगी। स्कूलों के शैक्षिक परिणामों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए न कि वहाँ उपलब्ध संसाधनों पर।

साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जो शोधकार्य, विकास और खोज हुए हैं वे बिना सरकारी दखल के सम्भव हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवीनीकरण को अंग्रेजी हुकूमत काल के दौरान ही दबा दिया गया। सरकारी स्कूल खोले गए और स्कूलों की स्वायत्तता खत्म कर दी गई। सिर्फ स्वायत्तता ही स्कूलों में नवीनीकरण और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकती है।

शिक्षा यात्रा और रामलीला ग्राउंड में विशाल रैली के आयोजन का उद्देश्य निजी स्कूलों की एकता और मजबूती का प्रदर्शन भी करना है क्योंकि लोकतन्त्र में राजनैतिक पार्टियाँ और व्यवस्था दोनों पर संख्या बल ही सबसे प्रभावी साबित होता है। ऐसे में कोएलिशन फॉर एजुकेशन रिफॉर्मस, शिक्षा क्षेत्र के सभी भागीदारों जैसे कि माता-पिता, शिक्षक, स्कूल मैनेजर और शिक्षा सेवा प्रदाताओं की संगठित मैजूदगी के साथ प्रदर्शन कर सरकार को यह बताएगी कि समाज का वृहद तबका उल्लिखित सुधारों व बदलावों के समर्थन में है। इस प्रकार सरकारी मशीनरी को सुधार के उपाय जल्द किए जाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

इस रैली के जरिए सरकार से नए स्कूलों के खुलने की प्रक्रिया को आसान करने की भी मांग की जाएगी जिससे अधिक से अधिक नए स्कूल खुल सकें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप स्कूलों में बेवजह फीस बढ़ने पर स्वतः रोक लग सके।

अगर मैथ्स, इंग्लिश और साइंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पाठ्यक्रम तय कर दिया जाएगा तो प्रत्येक शिक्षा बोर्ड एक समान स्तर पर आ जाएंगे और ऐसे में बच्चों को उनके शिक्षा बोर्ड विशेष के आधार पर अतिरिक्त वरीयता प्राप्त होना रुक जाएगा और समस्त बोर्ड के बच्चों का स्तर समान हो सकेगा।





सीता

लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा: शिक्षा का अधिकार कानून है निष्प्रभावी, दे रहा भ्रष्टाचार को बढ़ावा

सभी बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए लाए गए अधिनियम 'फ्री एंड कम्पल्सरी एजुकेशन एक्ट-2009', जिसे आरटीई एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, की खामिया अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगी हैं।

प्रथम द्वारा प्रकाशित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2016 (असर 2016) में ही बताया गया था कि किस तरह से नया नियम आने के बाद बच्चों की अटेंडेंस और उनके सीखने के स्तर में गिरावट आई है। अब कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सीएजी) की रिपोर्ट ने न सिर्फ प्रथम द्वारा जारी रिपोर्ट की पुष्टि की कर दी है बल्कि इस सर्वविदित राज पर से भी पर्दा उठा दिया है कि नए नियम ने किस तरह से अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

हालांकि रिपोर्ट में किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लिया गया है मगर इस बात के साफ संकेत दिए गए हैं कि कैसे बेहद चालाकी से नए नियमों के तहत लालफीताशाही (रेड टेप) के लिए रास्ते खोले गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि सभी बच्चों को स्कूल तक ले जाने के जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह नियम लागू किया गया था उसे पूरा कर पाने में यह सफल नहीं हो सका है।

सच तो यह है कि आरटीई एक्ट ने भ्रष्टाचार के नए रास्ते खोल दिए हैं, जैसे कि स्कूलों को मान्यता देना या उनकी मान्यता को रद्द करना, संसाधनों की खरीद आदि की स्वीकृति सम्बंधी नियम तय करना व उनका अनुपालन सुनिश्चित कराना और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति आदि की व्यवस्था करना। इनके बारे में जानते तो सभी थे लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा था। मगर अब इन तथ्यों पर और पर्दा नहीं डाला जा सकता है।

अगर फीस की प्रतिपूर्ति यानि रीईम्बर्समेंट

की बात करें तो आरटीई एक्ट के सेक्शन 12 के अनुसार वे गैर सहायता प्राप्त (अनएडेड) स्कूल ही फीस का रीईम्बर्समेंट हासिल कर सकते हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और जिनके यहां 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों के लिए रिजर्व हैं। सीएजी की रिपोर्ट में कई मामलों में अधिक और अनियमित रीईम्बर्समेंट देने की बात कही गई है।

बिहार में, ऐसे 90 स्कूलों को 1.18 करोड़ रुपये का रीईम्बर्समेंट दे दिया गया जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। मध्य प्रदेश में 303 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1.01 करोड़ रुपये रीईम्बर्समेंट के तौर पर दे दिए गए। कर्नाटक में 124 स्कूलों को 80 लाख रुपये का अतिरिक्त रीईम्बर्समेंट दे दिया गया और इसके लिए इसमें उन खर्चों को भी शामिल कर दिया गया जिनके लिए रीईम्बर्समेंट देने की अनुमति ही नहीं है। उत्तराखंड में 14 मदरसों को 19 लाख रुपये का रीईम्बर्समेंट दे दिया गया जबकि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को आरटीई एक्ट से बाहर रखा गया है और वे रीईम्बर्समेंट के लिए अर्ह नहीं हैं। यह सब क्या बिना मिलीभगत और मुट्ठी गर्म किए सम्भव हो सकता था?

देश में अब तक जितने भी भ्रष्टाचार के बारे में हम सुनते आ रहे हैं उसकी तुलना में इसे मामूली जरूर करार दिया जा सकता है। यह दलील भी दी जा सकती है कि सीएजी ने कुछ ही जिलों में जांच के आधार पर रिपोर्ट बनाई है। लेकिन कोई भी दलील इस बात को झुठला नहीं सकती है कि आरटीई एक्ट ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है।

ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें कई योग्य स्कूलों को सिर्फ इसलिए रीईम्बर्समेंट नहीं मिला क्योंकि वे आवश्यक कागजी कार्यवाई पूरी नहीं कर पाए। सीएजी ने अपनी जांच में पाया कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सम्बंधित प्राधिकरणों





के बचत खातों में अनियमित रूप से पैसे रखे हुए हैं। अगर देश भर के स्कूलों में बात की जाए तो ऐसी शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी जिनमें सिर्फ इसलिए रीईम्बर्समेंट देने में देरी की गई अथवा देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि उन स्कूलों के पास कोई ऊंची सिफारिश नहीं थी।

सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक तमाम ऐसे स्कूल भी हैं जो बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, छत्तीसगढ़ के दो जिलों में 70 स्कूलों की मान्यता रद्द करने की सिफारिश की गई थी जिनमें से सिर्फ 12 को ही अमान्य किया गया था। गुजरात के जिन जिलों की जांच की गई थी उनमें 2,502 स्कूल और केरल के 1,666 स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहे थे। उत्तराखंड के एक जिले में 109 स्कूल बिना मान्यता के चल रहे थे। क्या बिना घूसखोरी के ऐसा हो पाना सम्भव है?

स्कूलों को मान्यता देने की शर्तों में कुछ आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और छात्र-शिक्षक अनुपात जैसे मानकों को आधार बनाया जाता है। हजारों स्कूल इसलिए बंद हो चुके हैं क्योंकि वे इन मानकों पर खरे नहीं उतर सके।

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस (निसा) के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015 में 4,000 से भी अधिक स्कूल बंद हो गए थे जबकि जनवरी से अक्टूबर 2016 के बीच (हालिया उपलब्ध आंकड़े) 3,300 स्कूल बंद हो चुके हैं।

इसका क्या यह मतलब है कि सारे मान्यता

प्राप्त निजी व सरकारी स्कूल तय मानकों पर खरे उतरते हैं? आइये जानते हैं सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती हैरू चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग के बीम में क्रैक पाया गया, यानि कि यह बिल्डिंग सुरक्षित नहीं थी। त्रिपुरा में एक स्कूल वर्ष 2004 से एक आंगनबाड़ी सेंटर में चल रहा था तो एक अन्य स्कूल बांस के शोध में चलाया जा रहा था। पुंडुचेरी में 17 स्कूलों के पास कोई प्लेग्राउंड नहीं था तो एक अन्य स्कूल की कक्षाएं एक जर्जर किचन में चलाई जा रही थी। तमिलनाडु में खंडहर हो चुके भवनों में स्कूल चल रहे थे। एक स्कूल की छत ऐस्बेस्टस की थी तो एक स्कूल में गलियारे में क्लास चल रही थी। उत्तर प्रदेश में 105 स्कूलों के पास कोई बिल्डिंग ही नहीं थी तो 403 स्कूलों के भवन खंडहर में तब्दील हो चुके थे।

आरटीई एक्ट के नियमों के अनुसार शिक्षक-छात्र का अनुपात 1:30 होना चाहिए, जो कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद 3 वर्ष के भीतर पूरा कर लेना अनिवार्य है। यानि कि मार्च 2013 तक सभी स्कूलों में प्रत्येक 30 छात्रों के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए ताकि सभी बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जा सके। साथ ही एक टीचर वाले स्कूलों को बंद करने का नियम भी लागू किया गया था।

अब असलियत जान लेते हैं

सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि कई राज्यों में

कर्नाटक में 124 स्कूलों को 80 लाख रुपये का अतिरिक्त रीईम्बर्समेंट दे दिया गया और इसके लिए इसमें उन खर्चों को भी शामिल कर दिया गया जिनके लिए रीईम्बर्समेंट देने की अनुमति ही नहीं है। उत्तराखंड में 14 मदरसों को 19 लाख रुपये का रीईम्बर्समेंट दे दिया गया जबकि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों को आरटीई एक्ट से बाहर रखा गया है और वे रीईम्बर्समेंट के लिए अर्ह नहीं हैं। यह सब क्या बिना मिलीभगत और मुट्टी गर्म किए सम्भव हो सकता था?





मानकों का पालन नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 2015-16 के बीच 14% प्राइमरी व 15% अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात बेहद खराब था। बिहार में तो यह अनुपात 50-60 छात्रों पर 1 शिक्षक का था। आंध्र प्रदेश में 16% अपर प्राइमरी व 5% प्राइमरी स्कूलों में छात्र-शिक्षक का अनुपात बेहद खराब था।

बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु में सिंगल टीचर वाले स्कूल भी चल रहे हैं। बिहार में जहाँ 1% स्कूल ऐसे पाए गए वहीं मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में ये आंकड़े 14-15% तक पाए गए।

इन सारी खामियों को देखते हुए क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आरटीई एक्ट अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाने में सफल रहा है? क्या यह सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचा पाया है, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है?

युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) व सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि प्राइमरी शिक्षा (कक्षा 1-5) में नामांकन लगातार घटते हुए वर्ष 2012-13 में 96 फीसदी के मुकाबले 2015-16 में 87.3%

तक पहुंच गया। (एनईआर सम्बंधित राज्यों के स्कूलों में होने वाला विभिन्न आयुवर्ग के तहत नामांकन रजिस्ट्री है)। अपर प्राइमरी (कक्षा 6-8) के एनईआर में भी गिरावट देखी गई है। वर्ष 2012-13 में यह 73.7% था और 2014-15 में घटकर 72.48% हो गया, हालांकि 2015-16 में यह बढ़कर 74.74% हो गया।

मगर सरकार बच्चों को स्कूल तक कैसे लेकर जाएगी जब उसे यह पता ही नहीं होगा कि स्कूल से बाहर कितने बच्चे हैं? सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि अधिकतर राज्य सरकारों के पास यह जानकारी ही नहीं है कि उनके राज्य में 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की संख्या कितनी है, कौन स्कूल जा रहा है और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? आरटीई एक्ट की नियम संख्या 10 के मुताबिक बच्चों की संख्या की जानकारी हासिल करने के लिए सरकारों को नियमित रूप से हाउस होल्ड सर्वे कराना चाहिए। लेकिन 21 राज्यों ने अब तक इस तरह का कोई सर्वे कभी कराया ही नहीं।

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना एक आदर्श कदम है जिसकी ओर हर देश को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन भारत इस

मामले में कई ऐसे देशों से भी पीछे है जो आर्थिक रूप से हमसे काफी पीछे हैं। विश्व बैंक के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एजुकेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 135 है, जो कि तजाकिस्तान, वानुअतु, ग्वाटेमाला, गुयाना और किर्गिस्तान आदि देशों से भी नीचे है। एजुकेशन इंडेक्स की गणना स्कूलिंग के औसत वर्ष और अनुमानित वर्ष को जोड़कर की जाती है। भारत में स्कूलिंग के औसत वर्ष हैं 6.3 जबकि तजाकिस्तान व किर्गिस्तान में 10 और गुयाना में 8.4 है। इस स्थिति में तो अनवरत विकास की सुनहरी कल्पना नहीं की जा सकती है।

राइट टु एजुकेशन के जरिए एक सुशिक्षित समाज सुनिश्चित करने वाली बेहतर नींव नहीं रखी जा सकती है। समीक्षक शुरुआत से ही यह कह रहे थे कि जो भी हो रहा है वह सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में इंसपेक्टर राज को मजबूत बनाएगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। सीएजी की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है।

साभार: फर्स्ट पोस्ट

<http://www.firstpost.com/business/right-to-education-cags-damning-findings-confirm-it-encouraged-corruption-and-is-ineffective-3849535.html>



शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक ने दिखवाई नई राह

मिहिका बासू

लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं

पहली बार कर्नाटक सरकार ने एक प्रस्ताव दिया जिसका उद्देश्य लोगों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर स्कूल की शुरुआत करने और उसके संचालन को आसान बनाना था। प्रस्ताव के अनुसार, एक शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए कोई भी प्राइवेट बॉडी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) रजिस्टर कराकर काम कर सकती है, उसके लिए एक सोसायटी अथवा चौरिटेबल ट्रस्ट बनाकर कार्य करने की बाध्यता नहीं होगी। लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि इनका प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा ही होगा और संस्थान नॉन-प्रॉफिट शेयरिंग आधार पर ही चलेगा।

इस पहल से आसान हुई स्कूल खोलने की राह

यह पहल मौजूदा समय में स्कूल खोलने की राह को मुश्किल बनाने वाली कानूनी पेंचिदगियों को कम कर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने की ओर एक कदम है। सामान्य स्थिति में, नियम बेहद जटिल हैं, आवेदन के प्रक्रिया से लेकर जमीन आवंटन के लिए सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण हेतु तमाम तरह के लाइसेंस की जरूरत होती है (उदाहरण के तौर पर दिल्ली में अगर कोई प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है तो उसे तमाम चरणों से गुजरना होता है और तकरीबन 15 तरह के लाइसेंस हासिल करना होता है)। तमाम तरह के अनुमति पत्र और सर्टिफिकेट हासिल करने की बाध्यताएं पूरी प्रक्रिया को बेहद जटिल और अधिक समय लेने वाली बना देती है। और ट्रस्ट में कोई भी फैसला बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की सहमति से ही हो सकता है। ये सारी औपचारिकताएँ कई बार गैर जरूरी, खर्चीली और बेमतलब की होती हैं खासतौर से प्राइमरी और प्री-प्राइमरी स्तर पर। आज के दौर में भी ऐसे इलाके खोज पाना मुश्किल नहीं है जहाँ स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थान जरूरत की तुलना में बहुत कम हैं। यह भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक सोसायटी का रजिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस के लिए कितनी जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है।

इसका मतलब है कि शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से सम्बंधित कागजी कार्यवाई में अधिक समय देना पड़ता होगा और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उनके पास कम समय बचता होगा। इतना ही नहीं शिक्षा सम्बंधी योग्यताएँ होने के बावजूद अगर किसी के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है तो वह स्कूल खोल ही नहीं सकता। अगर नियम कम हों तो प्रशासनिक अधिकारियों की लाल फीताशाही का सामना भी कम करना पड़ता है। यह प्रस्ताव शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की जरूरत की पहचान हो सकता है और इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को आसान बना सकता है। यह प्रस्ताव शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी हेतु सामाजिक सहभागिता में वृद्धि की एक उम्मीद भी है।

प्रतिस्पर्धा से जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा मिलता है

अब किसी भी क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी के फायदे सर्वविदित हैं। जैसा कि तमाम इंडस्ट्रीज के उदाहरण जैसे कि मीडिया व टेलीकॉम आदि में देखने को मिले हैं, जहाँ अधिक से अधिक भागीदारी ने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु सतत नवीनता भी



देखने को मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अधिक विकल्प होने की वजह से न सिर्फ छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिलता है बल्कि शिक्षकों को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलते हैं और शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित अन्य उद्योगों का विकास भी होता है। कुछ हिस्सों में यह हर किसी के लिए यह शिक्षा का बेहतर और आसान रास्ता उपलब्ध कराने का साधन भी बन सकता है।

निजी भागीदारी का नहीं है कोई विकल्प: आंकड़े कर रहे हैं बयान

वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के आंकड़े 2005-06 के 1.3 मिलियन के मुकाबले 2009-10 में बढ़कर 8.1 मिलियन हो गए। इससे साफ पता लगता है कि अब भी मांग और आपूर्ति के बीच भारी गैप है। विकास के स्तर को देखें तो चुनौतियों पर खरा उतरने के मामले में सरकारी स्कूल पूरी तरह से फेल दिखाई देते हैं। इसका नमूना दाखिले के समय दिखायी देने वाले तनाव के रूप में हर साल सामने आता है, जब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं।

इसकी एक वजह लोगों की यह सोच भी है कि प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूलों की तुलना में बेहतर होते हैं, यही वजह है कि लोगों की प्राथमिकता प्राइवेट स्कूल ही होते हैं। "प्राइवेट स्कूलिंग फेनामनन इन इंडिया" नामक एक रिसर्च

अगर नियम कम हों तो प्रशासनिक अधिकारियों की लाल फीताशाही का सामना भी कम करना पड़ता है। यह प्रस्ताव शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की जरूरत की पहचान हो सकता है और इस क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को आसान बना सकता है। यह प्रस्ताव शिक्षा क्षेत्र की बेहतरी हेतु सामाजिक सहभागिता में वृद्धि की एक उम्मीद भी है।





पेपर जो कि लेखक द्वारा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (डीआईएसई) के रॉ डाटा एनालिसिस पर आधारित है। लेखक ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच 20 प्रमुख राज्यों के डाटा का आंकलन किया। इसके मुताबिक, इस समय अंतराल में सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या में 11.1 मिलियन यानी 1 करोड़ 11 लाख की गिरावट आई। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों में होने वाले दाखिलों की संख्या में इस दौरान 16 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख की वृद्धि हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा उस स्थिति

में हुआ जब इन चार वर्षों में सरकारी स्कूलों की संख्या में 16,376 की वृद्धि हुई। गीता गांधी किंगडन की स्टडी के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में 71,360 स्कूलों की वृद्धि हुई। लेकिन पहली बार प्रथम एनजीओ की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर), जो कि ग्रामीण भारत पर आधारित है में कहा गया कि देश भर में प्राइवेट स्कूलों में 6-14 साल की उम्र के बच्चों के दाखिलों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2014 में यह संख्या 30.8% थी जो कि 2016 में 30.5% हो गई, जबकि देशभर में प्राइवेट स्कूलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। उधर किंगडन का रिसर्च पेपर सरकारी प्राइमरी स्कूलों के साइज में औसतन 10% की गिरावट बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2010 से 2015 के बीच सरकारी स्कूलों के औसत साइज में 12% तक की गिरावट आई है जबकि प्राइवेट स्कूलों के साइज में 3 फीसदी की वृद्धि देखी गई है।

ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सरकारी शिक्षा पर से लोगों का भरोसा हट रहा है। तमाम रिपोर्ट यह पुष्टि करते हैं कि अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन स्कूलों का अकादमिक स्तर सरकारी स्कूलों से बेहतर है और यहाँ पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलता है। एक नैशनल सैम्पल सर्वे रिपोर्ट (एनएसएसओ) के मुताबिक सरकारी के बजाय प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देने के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ सीखने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा, कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर संतोषजनक नहीं है, तो कुछ लोग इसलिए प्राइवेट स्कूल को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। प्रजा फाउंडेशन द्वारा अप्रैल-जून 2016 में पूरी दिल्ली

में कराए गए एक सर्वे में पाया गया कि एमसीडी स्कूलों को अभिभावकों द्वारा पसंद न करने की 3 प्रमुख वजहें हैं। 67% अभिभावकों का मानना है कि एमसीडी स्कूल में पढ़कर भविष्य के लिए बेहतर विकल्प नहीं मिलेंगे। 59% ने माना कि यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है और 58% ने कहा कि यहाँ के शिक्षक उतने अच्छे नहीं हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के सम्बंध में भी अभिभावकों ने अपने विचार रखे। 58% ने कहा कि भविष्य के लिए स्कोप कम हैं, 52% ने कहा शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं है और 46% ने कहा कि छात्रों को उपलब्ध सुविधाएँ अच्छी नहीं हैं।

हालांकि, यह बताना बेहद जरूरी है कि एएसईआर 2016 की रिपोर्ट के अनुसार दो राज्यों के सरकारी स्कूलों में दाखिलों की संख्या में 2014 के मुकाबले वृद्धि देखी गई है। ये राज्य हैं केरल व गुजरात। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर के सरकारी स्कूलों के बच्चों की रीडिंग की क्षमता (खासतौर से शुरुआती कक्षाओं में) में सुधार देखा गया है, वहीं प्राइमरी ग्रेड्स के बच्चों में गणित सम्बंधी क्षमताओं में सुधार आया है।

एक छोटी सी शुरुआत भर है यह प्रस्ताव

कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। शुरुआत की राह आसान बना देना सिर्फ एक मामूली राहत भर है क्योंकि स्कूल चलाने के लिए तय प्रशासनिक झमेलों का दायरा बहुत बृहद है। लाइसेंस राज के कष्टकारी झमेले शिक्षा के क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार इन्वेस्टर्स को डराने के लिए काफी हैं। अगर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसके जरिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था हो तब कुछ बेहतर होगा। प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों के तेज प्रसार के मामले में एक रुकावट इन्वेस्टर मिलने में कठिनाई भी है, क्योंकि को भी ऐसे क्षेत्र में पैसा क्यों लगाना चाहेगा जहाँ से लाभ कमाने की उम्मीद नहीं कर सकते। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देने हेतु दिए गए सुझावों के तहत 2014 फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि इनपुट पर आधारित नियमों को कम किया जाए और आउटकम यानी परिणाम आधारित सिस्टम बनाया जाए। हालांकि कर्नाटक सरकार का प्रस्ताव राज्य में सर्व शिक्षा को गति देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह बड़े बदलावों की ओर बढ़ते कदम की एक उम्मीद साबित हो सकता है जो राज्य की शिक्षा पर काफी असर डालेगा।





क्यों न गुणवत्ता के आधार पर तय हो निजी स्कूलों की फीस

अर्घ्य बनर्जी

लेखक द लेवलफील्ड स्कूल, सूरी, बीरभूम, पश्चिम बंगाल के संस्थापक हैं।

प्राइवेट स्कूलों को उनके यहाँ उपलब्ध संसाधनों और उनकी गुणवत्ता के आधार पर शुल्क लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। और सरकार को फीस रीइम्बर्समेंट के पैसे सीधे गरीब बच्चों के अभिभावकों को कैश में भुगतान करना चाहिए।

“नियम: स्कूल की लाइब्रेरी का आकार 14मी गुणा 8मी होना चाहिए और यहाँ कम से कम 1,500 किताबों का संग्रह होना चाहिए।” स्कूल के हेड यानि प्रमुख को महीने में एक बार स्टाफ के साथ मीटिंग करनी चाहिए और पूरे महीने के कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ छात्रों के विकास का आंकलन करना जरूरी है।”

“स्कूल के हेड के पास स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित एक डिग्री होना जरूरी है। इतना ही नहीं, यह पद सम्भालने के लिए उसके पास कम से कम 8 वर्षों

का शैक्षणिक अनुभव अथवा किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में 5 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना भी अनिवार्य है।”

ये उन नियमों की कुछ बानगी भर हैं जो भारतीय स्कूलों के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं। अब इन नियमों की समीक्षा करते हैं। पहले नियम के मुताबिक, हमारे लिए यह जरूरी नहीं है कि एक स्कूल की लाइब्रेरी में किस तरह की किताबें रखी जानी चाहिए, हमारे लिए सिर्फ लाइब्रेरी का आकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर

हम उपर लिखे अंतिम नियम की बात करें तो इसके हिसाब से तो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी अगर स्कूल खोलना चाहते तो वह अयोग्य साबित हो जाते। स्कूल चलाना क्या, वह तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास तो शिक्षा क्षेत्र से सम्बंधित कोई डिग्री ही नहीं थी।

हम इन नियमों का मजाक बना सकते हैं, हम इनपर व्यंग्य कर सकते हैं लेकिन उन उद्यमियों के लिए यह कोई मजाक नहीं है जो स्कूल खोलना चाहते हैं। सीबीएसई सम्बद्धता

की रूल बुक 89 पेज की है। एक स्कूल खोलने के लिए आपको 50 तरह के सरकारी मंजूरी की जरूरत होती है। स्कूल खोलने के आपको भूमि अधिग्रहण विभाग, अग्नि सुरक्षा विभाग, कर विभाग, स्थानीय निकाय, राज्य शिक्षा बोर्ड और सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से तमाम तरह की अनुमतियाँ हासिल करनी होती हैं। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो हमारे देश में आज भी लाइसेंस राज की समाप्ति नहीं हुई है।

ये नियम हमारे समाज की उस अजीब सनक को दर्शाते हैं जिसके लिए परिणाम से ज्यादा उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। यह हमारे समाज की उस सोवियत-कालीन मानसिकता का परिचायक है जिसके अनुसार गुणवत्ता एक केंद्रीय सत्ता द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। किया जा सकता है। वैसे हम सब सोवियत यूनियन के निकम्मे उत्पादों से भली-भांति परिचित हैं। और हम यह भी जानते हैं कि आज भी भारतीय स्कूलों और कॉलेजों से पढ़-लिखकर निकले बेरोज़गार युवाओं की पूरी फौज मौजूद है।

हालांकि समानांतर परिणामों के बारे में जान पाना कठिन नहीं है।

अत्यधिक नियम और माइक्रोमैनेजमेंट से अच्छे परिणाम सुनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं। पीआईएसए (प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट) और टीआईएमएसएस (ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडीज) जैसे वैश्विक टेस्ट, जो दुनिया भर के स्कूली छात्रों की प्रतिभा के लिए बेंचमार्क माने जाते हैं, में भारत बेहद निचले पायदान पर है। तो इनके आधार पर हमारे कथित बेहतरीन स्कूलों की प्रतिभा और गुणवत्ता का कुछ तो अंदाजा लग ही सकता है?

तो अब सवाल यह उठता है कि समाधान क्या है? तो जवाब यह है कि, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है और न ही इस बारे में हमें कोई पीएचडी करने की जरूरत है और न ही शिक्षाविदों की कमिटी गठित कर वर्षों चर्चा करने और फिर कोई नतीजा निकालने की आवश्यकता है। इसका जवाब बेहद आसान है, हमें कोई विस्तृत दिशानिर्देशन जारी करने के बजाय सिर्फ उन संस्थानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जो अच्छी सेवाएँ दे रही हैं। तकरीबन सभी कम्पनियाँ बेहतरीन सेवाएँ देने का प्रयास करती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो वे जल्द ही अपने ग्राहक और कमाई से हाथ धो बैठेंगी। उदाहरण के तौर पर कोई बैंक अथवा टेलीकॉम कम्पनी, ये अपने सीईओ की नियुक्ति के लिए योग्यताओं सम्बंधी कोई निश्चित विवरणपत्र जारी नहीं करती हैं। उनके ऑफिस के आकार अथवा मीटिंग को लेकर कोई दिशानिर्देश तय नहीं किया गया है। उन्हे जब जरूरत महसूस होती है तब मीटिंग करते हैं, जो कि एक महीने से भी कम अंतराल में हो ही जाती हैं। बावजूद इसके ये निजी

संस्थान हमारे स्कूलों से बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। ये बदलावों को लेकर ज्यादा सतर्क हैं। जरूरत के समय ये तुरंत सक्रिय होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो उनसे सेवा का मौका छिन जाएगा।

हम अपने स्कूलों को भी इसी तरीके से क्यों नहीं चलने दे सकते हैं? हमारे निजी स्कूलों की क्षमता का आंकलन उनके क्लासरूम के आकार के बजाय उनके छात्रों की प्रतिभा और रिजल्ट के आधार पर क्यों नहीं हो सकता? हम छात्रों की पाठन क्षमता के आंकलन के बजाय लाइब्रेरी के आकार को लेकर क्यों चिंतित होते हैं। हम किसी मैथ्स टीचर की न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करने के बजाय उसके छात्रों के परिणाम का आंकलन क्यों नहीं करते? अगर कोई स्कूल बेहतरीन शिक्षा देगा तो माता-पिता अपने बच्चों को स्वतः ही वहाँ भेजेंगे। अगर कोई स्कूल बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा तो छात्र वहाँ अधिक दिन नहीं टिकेंगे और अंततः वह स्कूल बंद हो जाएगा। सीबीएसई को इसे बंद कराने की जरूरत नहीं होगी, मार्केट स्वतः ही परिणाम सामने रख देगा।

हम यह समझ सकते हैं कि परिणाम आधारित पद्धति की कुछ समस्याएँ भी हैं। इसके लिए हमें परीक्षा प्रणाली में भी सुधार की जरूरत होगी, क्योंकि पद्धति के जरिए प्रतिभा का सही आंकलन सम्भव नहीं है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें सिर्फ साल के अंतिम रिजल्ट के आधार पर आंकलन करने के बजाय निरंतर सुधार के आधार पर निर्णय लेना होगा। कोई भी स्कूल सालों तक बेहतर परिणाम देकर अपनी प्रतिष्ठा बनाता है और फिर अच्छे स्टूडेंट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर बेहतरीन परिणाम सामने आते हैं। हमें यह पता लगाने का तरीका ढूँढना होगा कि साल-दर-साल बेहतरी के क्या नए उपाय किए गए हैं। इसके लिए सिर्फ प्रत्येक दो वर्ष में एक मानकीकृत टेस्ट का आयोजन करना होगा (कक्षा 3, कक्षा 5 व अन्य कक्षाओं के लिए) और इसके आधार पर सुधारों का आंकलन करना होगा। अमेरिका के तमाम राज्य अपने स्तर पर इस तरह के मानकीकृत टेस्ट आयोजित करते हैं (उदाहरण के तौर पर, कैलिफोर्निया में स्टार टेस्ट), जिसके जरिए वे हर साल अपने बच्चों में हो रहे सुधार का आंकलन करते हैं।

अंततः, बाजार-आधारित पद्धति में समाज के गरीब तबके को बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही निजी स्कूलों को उनकी गुणवत्ता और संसाधनों के खर्च के आधार पर ही लोगों से फीस वसूलने का अधिकार मिलना चाहिए। इसका समाधान यह है कि सरकार गरीब बच्चों की फीस का रीडम्बर्समेंट स्कूलों को देने के बजाय सीधे छात्रों के अभिभावकों को नकद के रूप में दे। शिक्षा के क्षेत्र में भारी-भरकम सरकारी नियमों के बजाय बाजार आधारित अदृश्य हाथ बेहतर काम कर सकते हैं।

निजी स्कूलों की क्षमता का आंकलन उनके क्लासरूम के आकार के बजाय उनके छात्रों की प्रतिभा और रिजल्ट के आधार पर क्यों नहीं हो सकता? हम छात्रों की पाठन क्षमता के आंकलन के बजाय लाइब्रेरी के आकार को लेकर क्यों चिंतित होते हैं। हम किसी मैथ्स टीचर की न्यूनतम योग्यता सुनिश्चित करने के बजाय उसके छात्रों के परिणाम का आंकलन क्यों नहीं करते? अगर कोई स्कूल बेहतरीन शिक्षा देगा तो माता-पिता अपने बच्चों को स्वतः ही वहाँ भेजेंगे। अगर कोई स्कूल बेहतर परिणाम नहीं दिखाएगा तो छात्र वहाँ अधिक दिन नहीं टिकेंगे और अंततः वह स्कूल बंद हो जाएगा। सीबीएसई को इसे बंद कराने की जरूरत नहीं होगी, मार्केट स्वतः ही परिणाम सामने रख देगा।



प्रांतीय बैठकें, कॉन्फ्रेंस और गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का विमोचन



फीस नियंत्रण के मुद्दे पर पैनल डिस्कशन

दिनांक: 10 अप्रैल 2017

स्थान: लोक सभा टेलीविजन ऑफिस, महादेव रोड, नई दिल्ली

थॉमस एंटनी (निसा कोऑर्डिनेटर), अविनाश चन्द्रा (एडिटर आजादी.मी) और चंद्रकांत सिंह (रेडिएंट पब्लिक स्कूल) ने फीस नियंत्रण के मुद्दे पर लोक सभा टीवी द्वारा आयोजित पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया।

वार्षिक बैठक में तय हुई वर्ष 2017 के लिए निसा की रणनीति

दिनांक: 13 मई 2017

स्थान: सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

सांस्थागत प्रक्रियाओं के तहत निसा की वर्ष में एक बार जनरल बॉडी मीटिंग होती है जिसमें भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाती है, रणनीति तय होती है और पिछली योजनाओं के विकास और प्रगति संबंधी जानकारियाँ साझा की जाती हैं। इस साल निसा की वार्षिक बैठक 12 मई को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्य राज्य संगठनों ने आगामी वर्ष के लिए अपनी रणनीति पेश की।



राउंड टेबल मीटिंग कर बजट प्राइवेट स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार पर की चर्चा

दिनांक: 12 मई 2017

स्थान: सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

बजट प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के उद्देश्य से नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस (निसा) द्वारा थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी और ग्रे मैटर कैपिटल के सहयोग से 12 मई 2017 को एक राउंड टेबल का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस राउंड टेबल मीटिंग में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों के लोगों जैसे निवेशकों, सेवा प्रदाताओं, स्कूलों संचालकों, शिक्षाविदों और निसा की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान देश भर के बजट प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं और उनका परिणाम क्या होगा इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गयी।



उत्तर प्रदेश स्टेट कॉन्फ्रेंस

दिनांक: 14 मई 2017

स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश

बजट प्राइवेट स्कूलों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स -उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दिन भर चले इस कॉन्फ्रेंस में तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में निसा की टीम, अध्यक्ष और स्टेट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।





कश्मीर स्टेट कॉन्फ्रेंस

दिनांक: 24 मई 2017

स्थान: प्रीमियम कंवेशन सेंटर, डल लेक, श्रीनगर

ज्वॉइंट कमिटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, श्रीनगर ने प्राइवेट स्कूलों के सामक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यहाँ खासतौर से इस विषय पर चर्चा की गई कि किस तरह से जम्मू-कश्मीर के स्कूलों को देश भर के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं से जोड़ा जाए और जम्मू-कश्मीर के स्कूलों को अलग अलग करने वाली योजनाओं से अलग रहा जाए। इस सम्मेलन में राज्य के शिक्षा मंत्री सैय्यद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और निसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के पॉलिसी एडवाइजर अमित चंद्रा और दस राज्यों से आए निसा के राज्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के संबंध में पॉलिसी राउंडटेबल

दिनांक: 22 जून 2017

स्थान: रेड बिशप, चंडीगढ़

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) और निसा द्वारा चंडीगढ़ में स्कूल एजुकेशन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विषय पर आधारित पॉलिसी राउंडटेबल का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता हरियाणा स्कूल एजुकेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री पी के दास ने की। इस बैठक में शिक्षा से जुड़े विभिन्न पक्षों के लोगों ने हिस्सा लिया जिनमें जाने-माने शिक्षाविद, प्रैक्टिशनर, निवेशक और पॉलिसी एक्सपर्ट शामिल थे। बैठक में यह चर्चा की गई कि स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु किस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है। पिछली खामियों में सुधार करते हुए किस तरह से राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ सुधार की पहल हो सकती है इस सम्बंध में वैचारिक सहमति बनाई गई।



गुजरात स्टेट कॉन्फ्रेंस

स्थान: समस्त पाटिदार समाजनी वाडी, सूरत

सेल्फ फाइनांस स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसमें गुजरात सेल्फ फाइनांस स्कूल्स (रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट 2017 की वजह से स्कूलों को समक्ष उत्पन्न हुई समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गयी। निसा के अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा और पॉलिसी एडवाइजर अमित चंद्रा ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।



थॉट लीडर्स सम्मिट

दिनांक: 28 जून 2017

स्थान: फेयरफील्ड मैरियट, बैंगलौर

देश भर के बजट प्राइवेट स्कूलों में डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम की शुरुआत के लिए निसा ने बैंगलौर में माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से थॉट लीडर्स सम्मिट नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। डिजिटल लर्निंग के महत्व को समझाने के लिए कॉन्फ्रेंस में कई सत्र आयोजित किए गए और प्रजेंटेशन दिए गए। इस सम्मेलन में 23 राज्यों के 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मीटिंग

दिनांक: 25 जुलाई 2017

स्थान: मेहता हॉल, अलीगढ़

पब्लिक स्कूल डिवेलपमेंट सोसायटी (पीएसडीएस), अलीगढ़ ने एक दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया जिसमें 60 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के बच्चों के दाखिले हेतु बनाए गए नियमों की वजह से स्कूलों के सामने उत्पन्न हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में निसा के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा और निसा एडवोकेसी एसोसिएट थॉमस एंटनी ने अपने विचार प्रकट किए।





प्राइवेट स्कूलों के समर्थन में रैली

दिनांक: 31 जुलाई 2017

स्थान: कदप्पा, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश अनएडेड मैनेजमेंट स्कूल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट कदप्पा विंग ने राज्य में सरकारी नियमों की वजह से प्राइवेट स्कूलों को हो रही दिक्कतों के मुद्दे पर एक रैली का आयोजन किया। इस रैली में तकरीबन 6000 स्कूलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। स्टेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री कृष्णा रेड्डी ने लोगों को सम्बोधित किया और सरकार को ज्ञापन सौंपा।



विभिन्न राज्यों में उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत

उड़ान-द यंग इंडिया स्मार्ट फेलोज प्रोग्राम (वाइआईएसएफपी) निसा की एक पहल है जिसका उद्देश्य इसमें सहभागी बनने वाले देश भर के बजट प्राइवेट स्कूलों के लिए मूल्यांकन, निरंतर दिशानिर्देशन और टारगेटेड छात्रों को स्कॉलरशिप और शिक्षा में बहुमुखी सुधार हेतु कार्यक्रम मुहैया कराना है।



फिक्की कांफ्रेंस में प्राइवेट स्कूलों का पक्ष रखा

निसा अध्यक्ष श्री कुलभूषण शर्मा और उपाध्यक्ष (एडवोकेसी) श्री राजेश मल्होत्रा ने किताबों के कंटेंट सम्बंधी स्वतंत्रता विषय पर फिक्की के कॉन्फ्रेंस में बजट प्राइवेट स्कूलों का पक्ष रखा।

हरियाणा समाज

स्टूडेंट्स को टेंशन, कैसे देंगे हजारों रुपए फीस!

एडिशनल चैफ़ मैजेस्ट्री किंगे दाम से 'अवैध छात्रा' की विरोध छात्रवृत्त, फीस टॉय 2016 से पहले प्रो में फूट को है स्टूडेंट्स, जो इस मामले की कार्यवाही में, उन स्टूडेंट्स से फीस की डिमांड नहीं करेंगे।

दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश करने वाले छात्रों को फीस देना पड़ेगा। यह फीस देना ही है, जिसके कारण छात्रों में टेंशन है। फीस देना ही है, जिसके कारण छात्रों में टेंशन है। फीस देना ही है, जिसके कारण छात्रों में टेंशन है।

एडिशनल चैफ़ मैजेस्ट्री किंगे दाम से 'अवैध छात्रा' की विरोध छात्रवृत्त, फीस टॉय 2016 से पहले प्रो में फूट को है स्टूडेंट्स, जो इस मामले की कार्यवाही में, उन स्टूडेंट्स से फीस की डिमांड नहीं करेंगे।

दिल्ली देहात के स्कूल प्रबंधकों में रोष

मासिक बैठक में एकजुट हुए स्कूल प्रबंधक, सिमोदिया से जल्द मिलेंगे



स्कूल प्रबंधकों की बैठक में एकजुट हुए स्कूल प्रबंधक, सिमोदिया से जल्द मिलेंगे



स्कूल प्रबंधकों की बैठक में एकजुट हुए स्कूल प्रबंधक, सिमोदिया से जल्द मिलेंगे

गैर सहायता प्राप्त स्कूल सरकार के विरोध में आए

नई दिल्ली | विरोध संघटन

दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त बजट स्कूलों में दिल्ली सरकार पर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। सरकार के रवैये से नाराज स्कूलों ने समसूचीओं का जल्द समाधान न होने पर धरने-प्रदर्शन और अत्याचार का दरवाजा खटखटाते की चेतावनी दी है।

इन स्कूलों की अखिल भारतीय संस्था नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल असोसिएशन (निसा) व कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पब्लिक स्कूल (सीसीपीएस) के संयुक्त तथ्यांक में

समाधान के लिए गंभीर नहीं सरकार

दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में दिल्ली सरकार पर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। सरकार के रवैये से नाराज स्कूलों ने समसूचीओं का जल्द समाधान न होने पर धरने-प्रदर्शन और अत्याचार का दरवाजा खटखटाते की चेतावनी दी है।

न्यूज गैलरी

निजी स्कूल खटखटाएंगे अदालत का दरवाजा

नई दिल्ली। दिल्ली के अनपडेड बजट प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली सरकार पर बजट प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है। स्कूलों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी

आय संबंधी गलत रिपोर्ट देने वालों की खैर नहीं!

नियम 134ए के तहत स्कूलों को ईएसआईसी एक्ट के तहत लाने विरोध

बजट स्कूलों को ईएसआईसी एक्ट के तहत लाने विरोध

नई दिल्ली। अनपडेड बजट स्कूलों के अधिन प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधीन लाने के विरोध में स्कूलों के प्रबंधकों ने दिल्ली सरकार पर बजट प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाया है।

सहायता प्राप्त स्कूलों के कमी अब शिक्षा विभाग के अधीन

मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, हजारों कर्मचारियों को होगा फायदा

समाधान के लिए गंभीर नहीं सरकार

दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में दिल्ली सरकार पर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है।

'सरकार ने की वादा खिलाफी'

दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में दिल्ली सरकार पर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है।

You don't give us money, can't fire our staff too: Pvt schools to govt

CHANGED GRAFT RULES School managements to appeal to CM against impingement of rights

CORRUPTION IN THE CLASSROOM School managements have taken action against corrupt staffs

CHARGE IN ANTI-CORRUPTION FILES Under the provisions of the Corruption Act, 1988, school managements have filed charges against corrupt staffs

ACTIVATED DEMAND School managements have activated demand for higher salaries for staffs

NOTICEBOARD School managements have issued notices to staffs

HINDUSTAN TIMES SCHOOL NOTES School managements have issued notes to staffs

नवसर्गो साधलें सी मोसिमना पूजा सबकाव गंभीर नही

नवसर्गो साधलें सी मोसिमना पूजा सबकाव गंभीर नही

दिल्ली के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में दिल्ली सरकार पर उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है।



पश्चिमी दिल्ली की एक अनधिकृत कॉलोनी और वहाँ चल रहे १०० निजी स्कूल

रितिका चावला


रिसर्च राइटर, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

आप किसी महानगर में हैं, छोटे शहर में हैं अथवा किसी गांव से गुजर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर निजी स्कूल दिख ही जाएंगे। लेकिन 7 वर्ग किलोमीटर से भी कम दायरे में फैले हस्तसाल जैसी जगह में 100 स्कूलों की मौजूदगी के बारे में आप क्या कहेंगे?

पश्चिमी दिल्ली का छोटा सा इलाका हस्तसाल, एक तरफ से नजफगढ़ नाले से तो दूसरी ओर से बेहद भीड़-भाड़वाले उत्तम नगर बस टर्मिनल से घिरा हुआ है। टूटी-फूटी सड़कों व बेतरतीब बसावट के चलते यह, शहर

के अन्य जाने-माने इलाकों से काफी अलग दिखाई देता है। जब आप हस्तसाल इलाके के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ स्थित दुकानों, स्कूलों, क्लीनिकों, कोचिंग सेंटर्स, विवाह भवनों और घरों की बनावट देखकर बेहद हैरानी होगी।

यहाँ की बिल्डिंग्स न केवल एक-दूसरे के साथ जुड़कर बनी हुई हैं बल्कि रिहायशी और कमर्शल इलाकों का भी कोई भेद नहीं है। बिल्डिंग्स के पते गली नम्बर से जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आपको ऐसे भी कई मामले देखने को मिल



जाएंगे जिनमें तीन-तीन बिल्डिंग्स का एक ही हाउस नम्बर होगा।

एक समय यह छोटा सा गांव खेतिहर भूमि से घिरा हुआ था, लेकिन आज तमाम अधिकृत व अनाधिकृत कॉलोनियों का समूह बनकर रह गया है, जो कई परस्पर काटने वाले रास्तों से जुड़ता है और जिसमें पुराने हस्तसाल गांव का लाल डोरा क्षेत्र भी शामिल है। तमाम अन्य बातों के अलावा जो एक चीज इस इलाके को अन्य जगहों से अलग करती है, वह है यहाँ चल रहे विभिन्न तरह के (अधिकतर कम लागत वाले) तमाम स्कूल। यहाँ 'आइडियल रैडिएंट', 'स्टार शाइन', 'कीर्ति पब्लिक' और 'पायनियर कमल' जैसे नाम से चलने वाले स्कूल लैंडमार्क बने हुए हैं। यहाँ पहुंचकर न सिर्फ इन स्कूलों की रंग-बिरंगी दीवारें आपका ध्यान आकर्षित करेंगी बल्कि दूर से ही दीवारों पर आपको इन स्कूलों के नाम पेंट किए हुए, ऊपर उड़ते हुए बैनर और बिजली के खम्भों पर टंगे पलैक्स बोर्ड भी दिख जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये स्कूल नजर न आएँ, लेकिन जगह-जगह लगे होर्डिंग्स और पेंट किए हुए नाम आपको इनकी मौजूदगी से अवगत करा ही देंगे।

हालांकि इन स्कूलों का बिल्डिंग नम्बर किसी को पता नहीं होगा, लेकिन इलाके में 27 साल पहले स्कूल की स्थापना करने वाले नरेश त्यागी बताते हैं कि आज के समय में हस्तसाल इलाके में 100 से भी ज्यादा स्कूल खुल चुके हैं। नरेश त्यागी ने 'द न्यू एज पब्लिक स्कूल' की स्थापना 27 साल पहले की थी। एक अन्य स्कूल के संस्थापक सतीश त्यागी मानते हैं कि पूरे हस्तसाल में प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के तकरीबन 200 स्कूल चल रहे हैं। यानी कि इतने सारे स्कूल सिर्फ 7 स्क्वेयर किलो मीटर के क्षेत्रफल में चल रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इलाके की आबादी 1,76,877 है। हालांकि स्थानीय लोगों का मानना है कि वर्तमान समय में हस्तसाल में 5 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन (डीआईएसई) के 2015-16 के आंकड़े के अनुसार इस इलाके में 13 सरकारी स्कूल हैं।

यह इलाका अन्य नजदीकी राज्यों जैसे कि

उत्तर प्रदेश, बिहार और हरयाणा से आए तमाम लोगों को न सिर्फ रहने का ठौर देता है बल्कि उनके लिए रोजगार के अवसर भी दे रहा है। और यहाँ रहने वाली अधिकतर आबादी निम्न अथवा निम्न मध्यवर्ग से है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस इलाके में इतने सारे स्कूल कैसे बन गए और ये फल-फूल कैसे रहे हैं? और इसके मायने क्या हैं— क्या यह वर्तमान कामकाजी वर्ग की उस आकांक्षा का नतीजा है, जिसमें वह अपने बच्चों को समाज के मौजूदा प्रतिस्पर्धाओं से मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हर सम्भव प्रयत्न करते हैं? या फिर इस कहानी के पीछे का सच कुछ और भी है?

इन स्कूलों का उद्भव दरअसल इस कॉलोनी के उद्भव से ही जुड़ा हुआ है। अपनी पैदाइश से लेकर अब तक हस्तसाल में ही रहने वाले 61 साल के उमेश त्यागी यहां 'राजधानी पब्लिक' नामक स्कूल चलाते हैं। उमेश बताते हैं, मेरा जन्म खेतिहर भूमि से घिरे गांव में हुआ था और आज पॉश कॉलोनियों में शामिल जनकपुरी, विकासपुरी व उत्तम नगर आदि इलाके तब बंजर हुआ करते थे। मूल रूप से इसी इलाके के निवासी और दिल्ली पुलिस में अफसर रहे रती राम यादव कहते हैं, तब हम कच्चे मकानों में रहते थे, जिनके घेरे छोटे-छोटे पथरों और कटीले तारों से बने होते थे। मगर वक्त के साथ जमीन के मालिकों ने अवैध रूप से अपनी खेती की जमीनें बेच डाली। ऐसा करना गैर कानूनी इसलिए था क्योंकि 1954 के दिल्ली लैंड एंड रिफॉर्मस एक्ट के मुताबिक खेती की जमीन किसी अन्य इस्तेमाल के लिए नहीं बेची जा सकती थी। खेती की जमीन कैसे अनाधिकृत कॉलोनी में बदल गई, इसकी पूरी कहानी गौतम भान ने अपने रिसर्च पेपर 'प्लॉड इल्लिगैलिटीज: हाउसिंग एंड द फेलियर ऑफ प्लानिंग इन दिल्ली 1947-2010' में बहुत अच्छे से समझाया है। गांव की कुछ जमीनें या तो किसानों के पास थी अथवा पूरे गांव की कॉमन जमीन थी जो ग्राम सभा या विलेज काउंसिल के तहत आती थी। अधिकतर अनाधिकृत कॉलोनियाँ किसानों की निजी जमीनें बिकने के बाद बसीं। इन्हें समूहक (ऐग्रिगेटर) भी बोल सकते हैं— जिसमें एक साथ 10 से लेकर

यह इलाका अन्य नजदीकी राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हरयाणा से आए तमाम लोगों को न सिर्फ रहने का ठौर देता है बल्कि उनके लिए रोजगार के अवसर भी दे रहा है। और यहाँ रहने वाली अधिकतर आबादी निम्न अथवा निम्न मध्यवर्ग से है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस इलाके में इतने सारे स्कूल कैसे बन गए और ये फल-फूल कैसे रहे हैं? और इसके मायने क्या हैं— क्या यह वर्तमान कामकाजी वर्ग की उस आकांक्षा का नतीजा है, जिसमें वह अपने बच्चों को समाज के मौजूदा प्रतिस्पर्धाओं से मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हर सम्भव प्रयत्न करते हैं? या फिर इस कहानी के पीछे का सच कुछ और भी है?



200 तक यूनियों को शामिल किया गया और फिर इन जमीनों को प्लॉट्स में बांटकर बेच दिया गया। इनके लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट के कागजात बनाए गए जिनमें जमीन के एवज में पैसों के भुगतान मासिक किस्तों में भी हुए और लोगों को इनका व्यक्तिगत मालिकाना हक दिया गया।

उमेश जी यह दावा करते हैं कि अधिकतर जमीने दिल्ली लैंड रिफॉर्म ऐक्ट 1954 लागू होने से पहले लाभ कमाने के लिए बेची गईं, क्योंकि इस एक्ट बाद किसानों को अपनी जमीनों का मालिकाना हक पानी के भाव सरकार को सौंपने पर मजबूर होना पड़ता। इलाके के सबसे पुराने स्कूलों में से एक 'वृंदावन पब्लिक स्कूल' चलाने वाले सतीश त्यागी कहते हैं कि इलाके की अधिकतर जमीने तब बेची गईं जब दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए जमीने ऐक्वायर कर रही थी। तब सरकार किसानों को मार्केट रेट से बहुत कम पैसा दे रही थी। ऐसे में कम कीमत पर जमीने ऐक्वायर किए जाने के डर से किसानों ने समूहकों और कॉलोनाइजर्स को अपनी जमीनें बेच दीं। वर्तमान हस्तसाल की अस्त-व्यस्त और बेढंगी बसावट उसी भय का नतीजा है।

सतीश त्यागी कहते हैं, 'यह वो दौर था जब हर घर में लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करने लगे थे।' इसके अवशेष आज भी आपको हस्तसाल की गलियों में देखने को मिल जाएंगे। 1980 के बाद से रोजगार की तलाश में दिल्ली आए तमाम लोगों को हस्तसाल इलाके ने रहने की ठौर दी है, जिसकी दो वजहें हैं। पहली वजह है जरूरत की तुलना में शहर में रहने की जगहें कम हैं और दूसरी वजह है अन्य इलाकों की तुलना में यहाँ कम कीमत पर रहने की जगह मिल जाना।

सरकारी सुविधाओं की कमी और निजी स्कूलों का उदभव

इस इलाके की आबादी की तुलना में सरकारी सुविधाओं का अभाव हमेशा से रहा है। वर्ष 1985 तक यहाँ सिर्फ एक सरकारी स्कूल था जिसमें 10वीं तक की पढ़ाई होती थी। इसके अलावा एक और स्कूल था जिसे एक एनजीओ चलाता था। 'द न्यू एज पब्लिक स्कूल' के मैनेजर नरेश त्यागी कहते हैं, इलाके में आबादी बढ़ने और उसके साथ स्कूलों की बढ़ती मांग के नतीजतन 1987 के आस-पास यहाँ प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हुए। इसकी एक वजह और थी। इलाके में अब काम करने के लिए जमीन बची नहीं थी। ऐसे में यहाँ के लोगों को या तो बाहर निकलकर अपने लिए रोजगार ढूँढना



था अथवा अपने स्तर पर रोजगार सृजन करना था। ऐसे में स्कूल खोलना एक बेहतर कमाई का जरिया लगने लगा। वह एक पुरानी फाइल निकालकर दिखाते हैं जिसमें पीले रंग की शीटों वाले पत्रों और अखबारों की कतरन का पूरा पुलिंदा है। ये वो आवेदन हैं जो उन्होंने सालों तक सरकार को लिखे, जिसके परिणामस्वरूप इलाके का सरकारी स्कूल 1994 में अपग्रेड होकर 12वीं तक हुआ। इलाके में और स्कूल खोलने के लिए जमीन आवंटित करने हेतु डीडीए को भी एप्लिकेशन लिखा गया था। उमेश त्यागी याद करते हुए कहते हैं, 'उस समय अधिकारियों ने जवाब दिया कि हमारे पास स्कूल खोलने के लिए न तो जमीन है और न ही पैसा। कहा गया कि यह अनाधिकृत कॉलोनी है। हमें यह सलाह भी दी गई कि हमारे पास जमीन है और जरूरत भी हमारी ही है, ऐसे में खुद स्कूल खोल लेना चाहिए। उमेश त्यागी यह भी कहते हैं कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत जब शिक्षा सचिव इलाके का दौरा करने आए थे तब उन्होंने खुद हमें स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया। और इलाके के अधिकतर प्राइवेट स्कूल 1990 से 2010 के बीच खोले गए।

उन्हें स्कूल खोलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यह पूछने पर सतीश त्यागी कहते हैं, 'मुझे जब पैसों की तंगी हुई तब मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इससे मुझे भरोसा हो गया कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। वक्त के साथ जैसे-जैसे स्कूलों के साथ मेरा सम्पर्क बढ़ा तो मैंने पाया कि मुझसे बहुत कम पढ़े-लिखे

लोग भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तब मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं। जबकि मेरे पास जमीन थी, मैं पढ़ा-लिखा था और पढ़ाने का अनुभव भी था।'

नरेश त्यागी के मामले में उनके चाचा जो कि करीब के एक अन्य इलाके में पहले से स्कूल चला रहे थे, प्रेरणा बने। नरेश त्यागी कहते हैं, मेरे चाचा ने मुझे खाली जमीन पर स्कूल खोलने की सलाह दी। चूंकि मैं सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ था और उस दौरान इलाके में स्कूलों की जरूरत थी। इसलिए स्कूल खोल लिया। चूंकि वास्तविकता में वह अपना स्कूल समाज सेवा के उद्देश्य से नहीं चला रहे हैं ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 1000 रुपये महीना फीस भरनी पड़ती है, लेकिन वह कहते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस के अलावा भी जरूरतमंद बच्चों को फीस में छूट देते हैं। उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि, एक बच्ची के पिता की मृत्यु हो गई थी तो हमने उसकी पूरे सत्र की फीस माफ कर दी थी।

जब हमने 'संत साई पब्लिक स्कूल' जो कि एक प्राइमरी स्कूल है, में बात की तो पदाधिकारियों ने बताया कि इसकी शुरुआत छोटे से ट्यूशन व डे केयर सेंटर से हुई थी, जिसकी फीस प्रति माह सिर्फ 35 रुपये हुआ करती थी।

ये स्कूल उस दौर में खासतौर से दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खोले गए थे, पहला इलाके के बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो कि सरकारी स्कूल के स्तर पर सबके लेवल पर सम्भव नहीं था और दूसरा इलाके के उन लोगों के लिए रोजगार सृजन करना जिनके पास कोई शैक्षिक डिग्री है।

अभिभावकों की प्रतिक्रिया

जब बच्चों के माता-पिता से बात की गई तो उनकी यह मंशा स्पष्ट हो गई कि आज के जमाने में हर कोई अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है। 1995 से हस्तसाल में रह रहे कैब ड्राइवर लल्लन अपने दो बेटों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं जबकि अपनी बेटी, जो कि तीसरी कक्षा में है, को पास के 'ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल' में भेजते हैं। लल्लन के बेटों ने भी शुरुआती कक्षाओं की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से की और बाद में सरकारी स्कूल में शिफ्ट हुए। लल्लन बाद में बेटी को भी सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं। वह कहते हैं, "प्राइवेट स्कूलों का खर्च उठा पाना आसन नहीं है, खासकर बड़ी कक्षाओं में। लेकिन अगर शुरुआत के कुछ साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं तो उनकी समझ अच्छी विकसित हो जाती है, खासतौर से उन बच्चों की तुलना में जो शुरु से सरकारी स्कूल में ही जाते हैं।"

मोहन गार्डन से लगी एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के अलग-अलग कमरों में चार परिवार रहते हैं, जो एक बरामदा और एक ही बाथरूम शेयर करते हैं। ये सभी परिवार अलग-अलग समय में बिहार से यहाँ आए हैं। सुनीता, जिसके पति राजमिस्त्री हैं, के चार बच्चे हैं और सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सुनीता कहती हैं, "मैंने भी अपनी बड़ी बेटी को दो साल प्राइवेट स्कूल में भेजा था, लेकिन उनकी फीस बहुत

ज्यादा थी, जो हमारे वश की बात नहीं थी। वह कहती हैं, अगर हम फीस का खर्चा उठा पाते तब तो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजते। मेरी बेटी चौथी कक्षा में पहुँच गई है लेकिन अब भी वह किताब नहीं पढ़ सकती है। जबकि दूसरी ओर साउथ दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) का शिव विहार स्थित स्कूल तकरीबन खाली दिखाई देता है। यहाँ सहायक स्टाफ का ग्रुप बैठा हुआ मिलता है। बात करने पर पता चलता है कि इनमें से एक का बेटा सीनियर सेकंडरी में पढ़ता है, इसलिए सरकारी स्कूल में जाते हैं। दो लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन बाकी अन्य 4 लोग बताते हैं कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। "वे लोग कहते हैं, "हम यहाँ काम करते हैं इसलिए जानते हैं कि यहाँ कैसे काम होता है। जिसके पास भी थोड़ा पैसा है वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजने की कोशिश करता है। आज कल यह एक ट्रेंड बन गया है। इस स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाले व्यक्ति, जिनकी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ईडब्ल्यूएस कोटे में पढ़ती है, वह कहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है और आजकल प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ने भेजना एक स्टेटस की बात भी हो गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अब लोग बेहतर सेवाओं के लिए अधिक पैसे खर्च करने में गर्व महसूस करते हैं।"

महिला शिक्षा को बढ़ावा

उमेश त्यागी अपनी कलम को टेबल पर रखते हुए कहते हैं, प्राइवेट स्कूलों के आने से एक और बेहतर बदलाव देखने को मिला है। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चियाँ स्कूल जाने लगी हैं। जो माता-पिता पहले दूर के स्कूलों में बच्चियों को भेजने से कतराते थे, वे अब करीब के प्राइवेट स्कूलों में उन्हें भेज रहे हैं। ओम प्रकाश राठौर, जो कि 1979 में उत्तर प्रदेश से विस्थापित होकर हस्तसाल में बसे हुए हैं और यहाँ उनकी एक आटा मिल भी है, अपनी बेटी को 'राष्ट्र शक्ति विद्यालय' में भेजते हैं। यह इलाके में खुलने वाला पहला गैर सरकारी स्कूल है। हालांकि उनके बेटे ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। इस अन्तर का कारण पूछने पर वह कहते हैं, "मैं सिर्फ एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेजने का खर्चा उठा सकता था और चूंकि मेरा बेटा दूर के स्कूल में जा सकता था, ऐसे में हमने बेटी को नजदीक के स्कूल में भेजने का फैसला लिया।"

एक अभाव की पूर्ति

इलाके में बहुत सारे अलग-अलग तरह के स्कूल हैं। कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ के पास अपना फुटबॉल ग्राउंड और पीली बसें हैं तो कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो रिहायशी बिल्डिंग में चल रहे हैं। एक स्कूल ऐसा है जिसकी दो बिल्डिंग सड़क के दो तरफ हैं तो एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ बच्चों को पानी खत्म होने पर बॉटल भरने के लिए भागकर घर जाना पड़ता है। यहाँ कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनके क्लासरूम आधुनिक तकनीकों से लैस हैं और जहाँ छात्र खुलकर अपनी बात रखते हैं तो कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ क्लासरूम में टीचर की मौजूदगी में सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है। इनमें से कुछ मान्यता प्राप्त हैं तो कुछ बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। लेकिन इन सबमें एक बात आम है, वह यह कि ये इंग्लिश मीडियम हैं।

इसमें कोई शक नहीं है कि ये स्कूल अलग-अलग आर्थिक स्थिति के हिसाब से लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसा कि नरेश त्यागी कहते हैं, "ये प्राइवेट स्कूल ही हैं जो हस्तसाल के बच्चों की शिक्षा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल तो आबादी की जरूरत के सामने नहीं के बराबर है।"

(रितिका चावला सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के लिए रिसर्च राइटर के तौर पर कार्य करती हैं। वर्तमान समय में वह संस्था के रिसर्च प्रोजेक्ट संधि के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें हस्तसाल, नई दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया है।)



आर्टीई का दिल तो सही जगह पर है मगर दिमाग नहीं

शिक्षा का अधिकार कानून के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को समाप्त किया जाना, इस कानून के सबसे खराब पहलुओं को समाप्त किए जाने की दिशा में पहला कदम है

यह उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा का अधिकार कानून (आर्टीई एक्ट) भारत के सामाजिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आशा की जा रही थी कि इसके जरिए लाखों बच्चे स्कूल तक की यात्रा तय करेंगे। एक ऐसे समाज की नींव डलेगी जिससे आधुनिक, प्रगतिशील और समृद्ध भारत के निर्माण में सहयोग मिलेगा। लेकिन सात वर्षों के बाद, ये सारी उम्मीदें और आकांक्षाएँ ध्वस्त हो गई हैं। शिक्षा का स्तर लगातार गिरता आया है, तमाम स्कूल बंद हो रहे हैं और जो बचे हैं वहाँ से पढ़े-लिखे अशिक्षित बाहर निकल रहे हैं। कुल मिलाकर आर्टीई एक्ट, विधि निर्माण प्रक्रिया का सबसे विध्वंसकारी पहलू साबित हुआ है। सारी प्रष्टभूमि को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार का इसके सबसे विवादित पक्ष नो-डिटेंशन पॉलिसी (एनडीपी) को खत्म करने का फैसला इसके सबसे बदतर पहलुओं को निरस्त करने की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है।

एनडीपी से तात्पर्य कक्षा 8 तक छात्रों को बिना किसी परीक्षा के ही अगली कक्षा के लिए स्वतः प्रमोट करना समझ लिया गया। हालांकि, इस नियम के प्रभावी रहने के सात वर्षों के दौरान छात्रों के सीखने के स्तर में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली। 'एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर)' जो कि छात्रों के सीखने के स्तर का आंकलन करती है, की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक लर्निंग आउटकम तय मानकों से बेहद नीचे बना हुआ है। कक्षा 5 में पढ़ने वाले 48% से भी कम बच्चे कक्षा 2 के स्तर की किताब पढ़ पाते हैं, ग्रामीण इलाकों के कक्षा 8 में पढ़ने वाले सिर्फ 43.2% छात्र साधारण भाग लगा सकते हैं और कक्षा 5 में पढ़ने वाले 4 में से सिर्फ एक छात्र मुश्किल से इंग्लिश का एक वाक्य पढ़ सकते हैं।

एनडीपी को महालेखा परीक्षा (कम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सेंट्रल एडवायजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन) द्वारा भी गलत पाया गया है। 20 से भी ज्यादा

राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को इस पॉलिसी में बदलाव लाने अथवा इसे निरस्त करने के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एनडीपी पूरी तरह से फेल हो चुका है और इसे जितनी जल्दी ठीक किया जाए उतना बेहतर है।

एनडीपी के समर्थक यह तर्क दे सकते हैं कि यह पॉलिसी उन बहुत सारे देशों में काफी सफल रही है जो बेहतर शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि फिनलैंड और जापान। भारत में इसके फेल होने की वजह इसे ठीक से लागू न कर पाना है। उनका तर्क भी सही है। एनडीपी को लगातार चलने वाले आंकलन-सीसीई (कॉम्प्रिहेंसिव इवैलुएशन) का हिस्सा होना चाहिए था जो वार्षिक परीक्षा के सिस्टम को रिप्लेस कर सके। लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में एनडीपी सही ढंग से लागू भी नहीं हो सका है, क्योंकि वहाँ के शिक्षकों को कभी इस नए तरीके के बारे में कोई प्रशिक्षण ही नहीं मिला। यहाँ तक कि आज भी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाय और यही वजह है कि उम्मीद और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई बन गई है।

एनडीपी के चीयरलीडर्स यह दावा करते हैं कि यह पॉलिसी स्कूल से बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने के लिए बनाई गई थी और उसमें कामयाबी मिली है। ऐसे लोगों से यह पूछने की जरूरत है कि ऐसी स्थिति में बच्चों के स्कूल में रहने का क्या मतलब है जब वे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं?

असल में सवाल उनके दाखिले को लेकर भी उठना चाहिए। आर्टीई के चैम्पियन यह कहते हैं कि जबसे आर्टीई लागू हुआ है तब से 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक





अधिकार को सफल बनाने में मदद मिली है। देश में सार्वभौमिक दाखिला हो रहा है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि दाखिले के स्तर में आरटीई एक्ट लागू होने से पहले ही सुधार हो रहा था, जिसके लिए मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान जैसे पुराने नियम जिम्मेदार हैं। हमें स्कूल पहुंचने और सीखने के बीच के फर्क को भी नहीं भूलना चाहिए।

दरअसल, यह विरोधाभास आरटीई की इससे भी बड़ी और आधारभूत समस्या की झलक भर है और वह है, इनपुट पर ज्यादा फोकस और आउटपुट यानी परिणामों को नजरंदाज करना। उदाहरण के लिए, इस एक्ट के तहत स्कूलों में गरीब तबके के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित कर दिया गया, शिक्षक-छात्र अनुपात तय कर दिया गया, स्कूल बिल्डिंग व संसाधनों के लिए महंगे स्टैंडर्ड तय कर दिए गए, कार्य दिवस व शिक्षकों के लिए उनके कार्य के घंटे आदि तय कर दिए गए लेकिन बच्चों के लर्निंग आउटकम या छात्रों की पढ़ाई के आंकलन से शिक्षकों को नहीं जोड़ा गया।

इन नियमों का असर सबसे ज्यादा कम बजट वाले स्कूलों पर हुआ जहाँ अधिकतर गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। छात्रों से कुछ सौ रुपये फीस लेने वाले तमाम ऐसे स्कूलों पर ताला लग गया जो आरटीई की अनिवार्यता को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं थे। शहरी स्लम इलाके में चलने वाला एक स्कूल प्ले ग्राउंड बनाने की कोशिश में परेशान है। बजट प्राइवेट स्कूलों के एक ग्रुप नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के मुताबिक, साल 2015-16 में अकेले दिल्ली में 3000 स्कूल बंद हो गए और महाराष्ट्र में 7000 स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी हो गया। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को कोई डर नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ इसलिए मान्यता प्राप्त है कि वे सरकारी हैं। वे आरटीई एक्ट को

लागू करने हेतु अपनी मनमर्जी का वक्त ले सकते हैं। यही बात माइनोंरिटी-रन स्कूलों पर भी लागू होती है जिनमें सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त दोनों तरह के स्कूल शामिल हैं। ये स्कूल सिर्फ इसलिए अपने आप को आरटीई के नियमों से अलग रखे हुए हैं क्योंकि ये माइनोंरिटी-रन संस्थान हैं।

सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि तमाम आंकड़े यह साबित करते हैं कि गरीब लोग भी अपने बच्चों को फ्री के सरकारी स्कूलों की बजाय बजट प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं। अध्ययनों में तो यह भी पाया गया है कि कई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना सरकारी स्कूलों से भी सस्ता है और वहाँ शिक्षा का स्तर भी थोड़ा बेहतर है। सैन डिएगो स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कार्तिक मुरलीधरन के लैंडमार्क 'आंध्र प्रदेश स्कूल चॉइस प्रोजेक्ट' में पाया गया कि सरकारी स्कूलों की अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों के टीचर कम पढ़े होते हैं और उनको वेतन भी बेहद कम मिलता है, बावजूद इसके वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं, स्कूल में उनकी अनुपस्थिति कम होती है और ज्यादा घंटे काम करते हैं।

दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आरटीई की वजह से ऐसे स्कूल बंद हो रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं और ऐसे स्कूल चल रहे हैं जिन्हें बच्चों की बेहतर शिक्षा की कोई परवाह नहीं है। कुल मिलाकर नए नियम ने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को प्रोत्साहन दिया है जिसका फोकस शिक्षा को छोड़कर बाकी हर चीज पर है।

साभार: लाइवमिंट
<http://www.livemint.com/Opinion/mVZ1aJ6jGe3zUTHa8gND6O/RTEs-heart-is-in-the-right-placebut-not-its-head.html>

बजट प्राइवेट स्कूलों के एक ग्रुप नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के मुताबिक, साल 2015-16 में अकेले दिल्ली में 3000 स्कूल बंद हो गए और महाराष्ट्र में 7000 स्कूलों को बंद करने का नोटिस जारी हो गया। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को कोई डर नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ इसलिए मान्यता प्राप्त है कि वे सरकारी हैं। वे आरटीई एक्ट को लागू करने हेतु अपनी मनमर्जी का वक्त ले सकते हैं। यही बात माइनोंरिटी-रन स्कूलों पर भी लागू होती है जिनमें सहायता प्राप्त व गैर-सहायता प्राप्त दोनों तरह के स्कूल शामिल हैं। ये स्कूल सिर्फ इसलिए अपने आप को आरटीई के नियमों से अलग रखे हुए हैं क्योंकि ये माइनोंरिटी-रन संस्थान हैं।



सबके लिए समान एवं समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो

सतीश कपूर

संस्थापक और निदेशक, ब्रदरहुड

समावेशी शिक्षा एक ऐसी अवधारणा पर आधारित है जिसमें सभी छात्र एक साथ मिलकर सामान्य स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्हें 'सबके लिए स्कूल' के तहत समान शिक्षा का अधिकार मिले। इसके तहत वे स्कूल आते हैं जो बिना किसी सामाजिक, आर्थिक, भाषायी, धार्मिक व प्रजातीय भेदभाव के सभी बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा कर सकें। इसका अर्थ यह है कि स्कूलों को छात्रों की विभिन्न प्रकार की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा।

समान शिक्षा का अवसर एक ऐसी परिकल्पना है जहाँ निर्बाध स्कूली शिक्षा की उपलब्धता हो और स्कूल संबंधी तमाम क्रियाकलापों में बेरोक-टोक समान हिस्सेदारी हो। इसके तहत न सिर्फ स्कूलों तक पहुंच बल्कि सभी तरह की सीखने की क्षमता वाले बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम के ज्ञान का अवसर भी सुनिश्चित होना चाहिए। पाठ्यक्रम व इससे सम्बंधित मूल्यांकन छात्रों की क्षमता के आधार पर होना चाहिए। सभी तरह के बच्चों को समान तवज्जो मिलनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सबके लिए शिक्षकों को खास प्रशिक्षण की जरूरत होगी ताकि वे विभिन्न तरह की शैक्षिक जरूरतों के अनुकूल बच्चों को

गाइड कर सकें। रेग्युलर टीचर संज्ञानात्मक, संवेदनशील और सीखने सम्बंधी दुर्बलता वाले बच्चों की शिक्षा व खेलकूद की जिम्मेदारी लेते हैं और जरूरत पड़ने पर विशेषीकृत सेवाओं की मदद लेते हैं। रेग्युलर स्कूलों को समावेशी शिक्षा के योग्य बनाने के लिए विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है। यहाँ जरूरत के समय खास सेवाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। जहाँ भी स्पेशल स्कूल या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, समावेशी स्कूलों के लिए उनका सहयोग लेना जरूरी है। संस्थानों का इस तरह का आपसी सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

अलग हॉस्पिटल से लेकर स्पेशल स्कूल तक की यात्रा को नजरअंदाज करते हुए, इस डॉक्युमेंट में समावेशी शिक्षा के मिलेनियम गोल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समावेशी शिक्षा को सतत विकास लक्ष्य-4 (सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल-4) से जोड़ा गया है। जुलाई 2017 में युनेस्को के डॉक्युमेंट विजन 2030 के लक्ष्यों में सभी के लिए जीवनभर सीखने के अवसर हेतु न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा और प्रोत्साहन द्वारा समावेशी शिक्षा को परिमित किया गया। इसके लिए सीखने वालों की अलग-अलग जरूरतों को एक अवसर मानते हुए उसके अनुकूल सुविधाएँ

बढ़ाने की जरूरत है। सरकारी नीतियाँ समावेशी शिक्षा के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील हुई हैं। वर्ष 1990 से ही शिक्षा हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीई) के बीज को तलाशा जा सकता था और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 और 1992 जिसे सलामान्का डिक्लरेशन, संउंदबं कमबसंतंजपवदद्ध 1994 का समर्थन भी मिला, को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। आगे साल 2009 में आए शिक्षा के अधिकार अधिनियम और 2016 में लागू दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार सम्बंधी अधिनियम ने सरकारी नीतियों को और मजबूती दी। यह नीति इस उम्मीद के आधार पर बनाई गई, कि अगर बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे तो साथ-साथ रहना सीखेंगे।

विभिन्न एजेंसियों और स्कॉलर्स द्वारा किए गए सर्वे एवम अध्ययन यह बताते हैं कि सभी दिव्यांग जनों की सह शिक्षा के क्षेत्र में बेहद धीमी गति से कार्य हो रहे हैं, ऐसे में इसके लक्ष्य के जल्द पूरा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सरकार और एनजीओ साथ मिलकर इस बारे में विचार कर रहे हैं और एसडीजी-4 के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रयासों की गति तेज करने में जुटे हैं। भारत सरकार दिव्यांग जनों तक बेहतरीन शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। सरकार की यह मंशा

दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में साफ स्पष्ट होती है जिसकी अधिसूचना 15 जून 2017 को जारी हुई है। इसके साथ ही नीति आयोग के तीन वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट एजेंडा (2017-18 से 2019-20) में भी यह मंशा साफ झलकती है।

गुणवत्ता सूचक

भारत में, दिव्यांग बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। हर बच्चे को बेहतरीन शिक्षा हासिल करने का समान अधिकार है। विभिन्न दिशानिर्देश हमें यह जानकारी मुहैया कराते हैं कि हम किस तरह से सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में दिव्यांग बच्चों को किस तरह से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। हालांकि भारत में आज भी अच्छी समावेशी शिक्षा के लिए कोई स्पष्ट गुणवत्ता सूचक तय नहीं किए गए हैं। इसे परिभाषित करना बेहद जरूरी है।

जुलाई 2011 में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सम्बंधी गुणवत्ता सूचक तय करने के लिए विशेषज्ञों की एक कमिटी गठित की गई थी जिसकी अगुवाई प्रोफेसर एन. के. जंगीरा कर रहे थे। इस ग्रुप का सहयोग ब्रदरहुडय, सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई और नेशनल ऐक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है, जैसे संस्थान कर रहे थे। गुणवत्ता सूचक तय करने के लिए विभिन्न सम्बंधित पक्षों से बात की गई, विभिन्न सरकारी व निजी सामान्य स्कूलों के क्लासरूम सम्बंधी प्रक्रियाओं को देखा गया। सारी कार्यवाही तमाम सरकारी विभागों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एनसीईआरटी, एनयूईपीए (न्यूपा), दिव्यांग जन विभाग के मुख्य आयुक्त ऑफिस (सीसीपीडी), सीपीडब्ल्यूडी और ऐक्रेडिटेशन एजेंसियों जैसे की सीबीएसई, आईसीएससी और इंटरनेशनल बैचलरेंट ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर की गई। गुणवत्ता सूचक तय करने के लिए समावेशी/स्पेशल एजुकेशन विशेषज्ञों, सामान्य शिक्षकों, स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर्स, रीहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स व दिव्यांग बच्चों के माता-पिता से भी जानकारियां हासिल की गई थीं।

गुणवत्ता सूचकों को 16 क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र एक-दूसरे की मजबूती पर निर्भर करता है। सभी श्रेणियाँ समान महत्व रखती हैं क्योंकि किसी एक को भी नजरअंदाज करके समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है।

1. स्कूल मैनेजमेंट कमिटी
2. लीडरशिप
3. स्कूल मैनुअल में परिभाषित एसएमसी की भूमिका
4. स्कूल का परिवेश
5. अधिकारियों की जिम्मेदारी
6. दाखिले के नियम
7. सहयोगी योजनाओं के लिए बैठक
8. समावेशी पाठ्यक्रम
9. निर्देशन सम्बंधी कार्यवाही
10. आंकलन और मूल्यांकन
11. छात्रों के लिए व्यक्तिगत सहयोग
12. माता-पिता व परिवार का सहयोग
13. कर्मचारी का विकास
14. स्वास्थ्य व सुरक्षा
15. मेडिकल सुविधाएँ
16. कैंटीन

यह उम्मीद की जा रही है कि ये गुणवत्ता सूचक समावेशी शिक्षा से सम्बंधित लोगों व प्रबंधकों को बेहतर दिशानिर्देश मुहैया कराई जाएगी। यह भी आशा की जा रही है कि इन सूचकों की मदद से समावेशी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए नए शिक्षक और शोधार्थी भी तैयार होंगे।

गुणवत्ता सूचकों का इस्तेमाल निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

1. स्कूल इसे एक रेटिंग स्केल की तरह इस्तेमाल कर यह पता लगा सकेंगे कि उनके वहाँ क्या सुविधाएँ हैं और समावेशी शिक्षा लागू करने हेतु उन्हें किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है।
2. स्कूल में सुधार हेतु प्राथमिकता तय करने के लिए इसके आधार पर कर्मचारियों के साथ बातचीत की शुरुआत की जा सकती है।
3. कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु यह एक दिशानिर्देशक का काम कर सकता है।
4. समावेशी शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ने

और इस दिशा में प्रगति का विवरण व मूल्यांकन इसके आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।

गुणवत्ता सूचकों का सबसे सही इस्तेमाल आत्म-मूल्यांकन प्रक्रिया के संयोग के तौर किया जा सकता है जिससे स्कूल की मौजूदा स्थिति का अंदाजा लगाने और सुधार के लिए नए उपाय करने में सहायता मिलेगी। ये सूचक तकनीकी सहायता टूल के तौर पर तय किए गए हैं न कि मॉनिटरिंग डिवाइस के तौर पर।

आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया सम्पूर्ण गुणवत्ता सम्बंधी प्रबंधन तैयार करती है जिसका इस्तेमाल समावेशी शिक्षा हेतु लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के चरण तय करने में हो सकता है।

स्कूल इंकलूसिव एजुकेशन डिवेलपमेंट टीम (एसआईईडी) का गठन

समावेशी शिक्षा के लिए हर स्कूल एक एसआईईडी टीम का गठन करेगा। इस टीम में 8 से 10 सदस्य होंगे जिनकी अगुवाई किसी प्रशासनिक व्यक्ति जैसे कि प्रिंसिपल या डायरेक्टर करेंगे। टीम में स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, रेग्युलर टीचर, दिव्यांग बच्चों के माता-पिता व रीहैबिलिटेशन प्रोफेशनल शामिल होंगे।

एसआईईडी टीम को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उनका उद्देश्य क्या है और उन्हें क्या हासिल करना है? उन्हें स्कूल में स्वागत योग्य माहौल तैयार करना है, जहाँ हर बच्चे का समान रूप से स्वागत होगा। कुल मिलाकर टीम का यह उद्देश्य होगा कि वह स्कूल में इस तरह की संस्कृति और सुविधा का विकास करें जहाँ समावेशी शिक्षा के अनुकूल माहौल बने और सभी बच्चों को समान शिक्षा और सहयोग प्राप्त हो।





मुद्दे जो मायने रखते हैं...

सोनल आहुजा

लर्निंग अवेजलिस्ट, संस्थापक, हाउस आफ लर्निंग, डायरेक्टर, श्री राम फाउंडेशन प्री स्कूल

रिपोर्ट कार्ड्स, एक लिपटी हुई खूबसूरत सी चीज जिस पर हमारे बच्चों की तस्वीरें चस्पा होती हैं।

मेरे हिसाब से, यही एक ऐसा वक्त होता है जब हमें उनके बस्ते को अच्छे देखने का ख्याल आता है। हम शुरु के दो पन्नों को उलट-पुलट कर किनारे कर देते हैं और उनपर तबतक ध्यान नहीं देते जबतक कि हमें हमारी मनचाही जानकारी नहीं प्राप्त हो जाती।

कार्ड के अंतिम पन्ने पर एक कमेंट सेक्शन होता है जहाँ शिक्षक बच्चे के बारे में अपना निजी

आंकलन लिखते हैं। असल में यही वह जानकारी होती है जो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं। हम इस पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का व्यवहार क्लास में कैसा रहता है, वह अपने सहपाठियों के साथ कैसे पेश आता है, वह अपने शिक्षकों का आदर करता है न.... आदि आदि..।

सचमुच, मैं इस बात की परवाह कभी नहीं करती कि मेरे बच्चे ने क्या ग्रेड हासिल किया है। मुझे परवाह इस बात की होती है कि वह किस तरह का इंसान बन रहा है।

राज कक्षा 9 का छात्र है। उसके माता-पिता अक्सर पैरेंट्स-टीचर मीटिंग के दौरान घंटों क्लास की छोटी सी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, टीचर से उसकी प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं जिसमें अकादमिक प्रगति के साथ अन्य विकास भी शामिल होता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनकी बातों का फोकस अकादमिक से हटकर अन्य पहलुओं पर चला जाता है।

मुझे लगता है कि हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि राज के माता-पिता की ही तरह अधिकतर बच्चों के पैरेंट्स इस बात में कम

दिलचस्पी लेते हैं कि उनका बच्चा एक मिनट में कितने वर्ड पढ़ सकता है अथवा कितने अंकों वाले गुणा-भाग निकाल सकता है। उनके लिए जो बात सबसे अधिक मायने रखती है, वह यह कि उनके अंदर दया भाव है या नहीं, वे लोगों का आदर करते हैं या नहीं? क्या वे अच्छे मित्र हैं? क्या वे नए बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं? क्या वे अपने सहपाठियों की सफलता पर उन्हें बधाई देते हैं? क्या वे दूसरों की मदद करते हैं?

ये बातें उनके साथ साथ मुझे भी काफी सही लगती हैं

हाँ ऐसा नहीं है कि कोई अपने बच्चे के अकादमिक विकास के बारे में नहीं जानना चाहता। यहाँ तक कि मैं भी यह जानना चाहूंगी कि मेरा बच्चा सही ट्रेक पर है या नहीं। उसे किस विषय में परेशानी महसूस होती है और क्या उसे किसी तरह के अतिरिक्त सहयोग की जरूरत है। मैं उन्हें कठिन मेहनत के महत्व को समझाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि वे मैथ्स, अलग-अलग भाषाएँ और साइंस सीखें, दुनिया के बारे में जानें, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि ज्ञान की कसौटी कोई एक टेस्ट या ग्रेड नहीं होती है। मूल्यांकन, ग्रेड्स व टेस्ट एक बेंच मार्क होते हैं लेकिन ये सबकुछ नहीं हैं।

अगर मेरे बच्चे बहुत अच्छे ग्रेड ला रहे होंगे, तब भी मुझे इस बात की परवाह अधिक रहेगी कि वे अच्छे इंसान बनें, दूसरों की मदद करें और सबका आदर करें। यह क्वॉलिटी उनमें तब भी होनी जरूरी है जब वे 'ए' ग्रेड हासिल कर रहे हों।

मेरा मानना है कि मैं छात्रों को नहीं बल्कि इंसानों को बड़ा कर रही हूँ।

आप मुझे आलसी बुला सकते हैं, लेकिन यह सच है कि मैं अपने बच्चों को मैथ्स के तथ्य समझाने या किताबों की रीडिंग कराने में घंटों कभी नहीं लगाती। जब भी वे स्कूल से घर आते हैं, मैं उनसे यह नहीं पूछती कि उन्होंने स्पेलिंग विवज में कैसा प्रदर्शन किया अथवा उनके मैथ्स का टेस्ट कैसा रहा। इसके बजाय मैं उनसे पूछती हूँ कि, आज आपने किसकी मदद की? और किसने आज आपके साथ अच्छा व्यवहार किया? ये वह बातें होती हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरे बच्चे ने किसी रोते को हंसाया? क्या उसने किसी को स्पेशल फील कराया? ये बातें एक अच्छे इंसान की पहचान होती हैं न कि सिर्फ एक अच्छे छात्र की।

इसके लिए मुझे गलत न समझें। ऐसा कतई नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अकादमिक पहलुओं पर पीछे धकेलना चाहती हूँ। और हाँ, अगर उन्हें किसी विषय में परेशानी है तो मैं उसके बारे में



भी जानना और उनकी मदद करना चाहती हूँ, जैसा कि सभी पैरेंट्स चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि बच्चों की दिक्कतों को समझकर सभी पैरेंट्स, टीचर्स और खुद बच्चे मिलकर उसका समाधान ढूँढ़ें। लेकिन इस सबके बावजूद अगर मेरा बच्चा अगर किसी टेस्ट या एग्जाम में एवरेज ग्रेड ही ला पाता है तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहाँ बात दोस्ती निभाने की, टीमवर्क की, दयालुता, आदर और अच्छे व्यवहार की आती है वहाँ मुझे अपने बच्चे से सिर्फ और सिर्फ 'ए' ग्रेड की उम्मीद रहती है।

श्री राम फाउंडेशन से जब बच्चे शिक्षा लेकर निकलते हैं, तब मैं उनके पैरेंट्स के साथ तीन सीक्रेट्स जरूर साझा करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि सुपर हीरो हमेशा कहानियों में ही नहीं बल्कि हर सुबह आपके सामने खड़े होने वाले बच्चों में से भी हो सकते हैं। टीचर भी सुपर हीरो होते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ कि जब परिस्थितियाँ कठिन हों, और अक्सर होती भी हैं, तब मन को शांत रखकर, एक अच्छी गहरी सांस लेकर बेहद आसानी से समाधान ढूँढ़ा जा सकता है। और तीसरा सीक्रेट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह है कि, आपमें जादू है। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है, जो कि आप जरूर कर सकते हो।

मैं उन्हें बताती हूँ कि जब आप अपने आप में बेस्ट होंगे, जब आप कठिन परिश्रम करेंगे, जब आप बहादुर और दयालु होंगे तब आपके पास खुद-ब-खुद वह जादू आ जाएगा जिससे आप न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आस-पास के वातावरण को भी खुशनुमा बना देंगे।

इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कठिन परिश्रम करें और पढ़ाई करें। वे अपने स्कूल में संघर्ष न करें, अच्छे ग्रेड लेकर आएँ लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वे अपने क्लास ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हमेशा दयालुता, दोस्ती और अच्छाई का जादू भी बिखेरते रहें।

अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो मेरी रिपोर्ट कार्ड में उन्हें हमेशा ए ग्रेड का सम्मान मिलेगा।

अगर आप भी मेरी इन बातों से सहमत हैं तो देर न करें, अभी उठें और इस भावना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें।

मैं चाहती हूँ कि बच्चों की दिक्कतों को समझकर सभी पैरेंट्स, टीचर्स और खुद बच्चे मिलकर उसका समाधान ढूँढ़ें। लेकिन इस सबके बावजूद अगर मेरा बच्चा अगर किसी टेस्ट या एग्जाम में एवरेज ग्रेड ही ला पाता है तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जहाँ बात दोस्ती निभाने की, टीमवर्क की, दयालुता, आदर और अच्छे व्यवहार की आती है वहाँ मुझे अपने बच्चे से सिर्फ और सिर्फ 'ए' ग्रेड की उम्मीद रहती है।



NISA MEMBERSHIP FORM

BENEFITS TO THE ASSOCIATIONS

- ▶▶ Joining an alliance that provides a national voice, advocating for the interest of budget private schools
- ▶▶ Opportunity to spread awareness about the need for associations
- ▶▶ Reputation-building for the association at a national and international level
- ▶▶ Exposure and opportunities to learn from the best practices of other member associations from different states
- ▶▶ Latest information about education developments, new legislations, policies, regulations, amendments and related issues
- ▶▶ Direct contact with colleagues across the country and throughout the nation - an open gateway to people and resources that help make schools even better
- ▶▶ Through a nationwide advocacy campaign, access to legal aid to protect interests of associations
- ▶▶ Representation on a national citizenry platform that advocates for fewer regulations and greater transparency from the government, media, academics and international organizations
- ▶▶ Updates on important cases from alliance officers and staff who attend meetings with governments

NISA MEMBERSHIP FORM FOR ASSOCIATION

Name of Association:

Name of President/Head of the Association:

Phone Number: E-mail ID:

Postal Address of Association/ Head of the Association (Whichever is applicable):

Website:

Yes, I wish to be a member of National Independent Schools Alliance (NISA)
 Fill in the above form and send it to NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016
 For more information, call: +91 9899485667; 011 2653 7456 E-mail: nisa@ccs.in Website: www.nisaindia.org



NISA NAMASKAR SUBSCRIPTION FORM

SUBSCRIPTION FORM FOR NISA NAMASKAR

Please complete the form below and send it to: NISA Secretariat, A-69, Hauz Khas, New Delhi- 110016

Name:

Phone Number: Email ID:

Address:

Pin Code: Country:

Occupation:

Mode of Payment: Cash: Cheque: Net Banking:

For net banking, transfer the amount at : A/C No.- 412102010057920
 Union Bank of India, Nehru Place, New Delhi-110019
 IFSC Code: UBIN0541214

Yearly Subscription Amount: INR 500
 For payment via cheque, please enclose cheque/DD in favour of NISA Education, payable at Delhi for INR 500
 For further queries, subscription or advertisement related, contact: nisa@ccs.in; 91 9899485667; 011 2653 7456